केवल शासकीय उपयोग हेतु

पंचायत निर्वाचन

पीठासीन अधिकारियों के लिए

मार्गदर्शिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

वर्ष 2014

प्रस्तावना

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत हद तक मतदान केन्द्र पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ वहां पर नियुक्त कर्मचारियों की निष्पक्षता, सजगता, और कार्यकुशलता पर निर्भर करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मतदान केन्द्र के प्रमुख अधिकारी के रूप में पीठासीन अधिकारी का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। उसे विधि और प्रक्रिया के प्रावधानों का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सहयोगी कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने के साथ–साथ कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पीठासीन अधिकारियों को उनके विविध कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका का मूल संस्करण, राज्य में पंचायतों के प्रथम आम चुनावों के समय, मई, 1994 में प्रकाशित किया गया था। उन चुनावों के अनुभव के आधार पर, निर्वाचन नियमों में व्यापक परिवर्तन किये गये और छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 प्रभावशील किये गये। पश्चातवर्ती वर्षों के दौरान पंचायत निर्वाचन नियमों में और कुछ संशोधन हुए हैं। अतः इन समस्त संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शिका का नया संस्करण प्रकाशित करना आवश्यक समझा गया है। इसमें प्रक्रिया से संबंधित आयोग के कुछ नये निर्देशों का समावेश कर लिया गया है।

2. इस पुस्तिका में मतपेटियों के आकृतिचित्र और उनके प्रयोग की विधि भारत निर्वाचन आयोग के एक प्रकाशन में से लिये गये हैं और इसके लिए हम आभार ज्ञापित करते हैं।

3. पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन में, इस ''मार्गदर्शिका''को एक हस्तपुस्तक के तौर पर उपयोग में लाएंगे।

रायपुर ;
2014

पी0सी0 दलेई
राज्य निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़

विषय–सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र	1
2.	पंचायत निर्वाचन से संबंधित कुछ बुनियादी बातें	2
3.	पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें	5
4.	मतदान दल का प्रशिक्षण	8
5.	मतदान एवं मतगणना सामग्री	9
6.	मतदान केन्द्र की व्यवस्था	11
7.	मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन	12
8.	मतदान के पूर्व की तैयारियां	14
9.	मतदान	17
10.	मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति (अभ्याक्षेप)	23
11.	निविदत्त मतपत्र	25
12.	मतदान केन्द्र पर एवं उसके आसपास व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान	26
13.	आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाहीः मतदान स्थगित करना	29
14.	मतदान की समाप्ति के बाद की कार्यवाहियां	31
15.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	36
16.	मतगणना	38
17.	मतगणना के बाद की कार्यवाहियां	45
18.	मतदान दल की वापसी तथा सामग्री जमा करना	47

परिशिष्टों की सूची

क्रमांक	विशय	पृष्ठ
एक	पदाभिहित अधिकारियों की सूची	50
दो	निर्वाचन प्रतीकों की सूची	51
तीन	मतदान केन्द्र की आतंरिक व्यवस्था	53
चार	प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दी जाने वाली सामग्री	54
पांच	छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम,1964 की कतिपय महत्वपूर्ण धाराओं का उद्धरण	57
छः	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (पंच) प्ररूप–8क	62
सात	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (सरपंच) प्ररूप–8 ख	63
आठ	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (जनपद पंचायत सदस्य) प्ररूप–8 ग	64
नौ	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (जिला पंचायत सदस्य) प्ररूप 8 घ	65
दस	मतपेटी उपयोग में लाने संबंधी अनुदेश (क) गोदरेज टाईप मतपेटी	66
	(ख) एम.पी. टाईप मतपेटी	72
ग्यारह	ग्राम पंचायत का नाम तथा उन वार्डों का विवरण दर्शाने वाली सूचना जिनके मतदाता केन्द्र पर मतदान करने के हकदार हैं	78
बारह	मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति–पत्र	79
तेरह	अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा	80
चौदह	अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची	81
पन्द्रह	रसीद	82
सोलह	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	83
सत्रह	स्टे ान आफिसर पुलिस को भेजे जाने वाली रिपोर्ट	84
अठारह	निविदत्त मतों की सूची	85
उन्नीस	प्ररूप–15	86
बीस	मतदान या मतगणना स्थगित किये जाने की सूचना	88
इक्कीस	पीठासीन अधिकारी की डायरी	89
बाईस	गणन अभिकर्ता का नियुक्ति–पत्र	95
तेईस	प्ररूप–16	96

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
चौबीस	प्ररूप–17 (भाग–एक, सरपंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र)	98
पच्चीस	प्ररूप–18 (भाग–एक, जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र)	100
छब्बीस	प्ररूप–19 (भाग–एक, जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र)	102
सत्ताईस	वैध मतपत्र एवं अवैध मतपत्र	104
अट्ठाईस	गणना पर्ची	106
उन्तीस	प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्र	107

अध्याय– 1

निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 के अन्तर्गत पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की समस्त शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के रूप में कलेक्टर को सौंपा गया है। अतः आयोग के सर्वोपरि–निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन जिले में निर्वाचन संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी कलेक्टर पर है। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 42 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 17 के अनुसार पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के लिए नियुक्त किए गए या लगाये गये समस्त अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे ।

2. जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए कलेक्टर स्वयं रिटर्निंग आफिसर रहेगा, परन्तु जनपद पंचायत के सदस्यों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं पचों के निर्वाचन के लिए सामान्यतया तहसीलदार या अपर तहसीलदार रिटर्निंग आफिसर होंगे ।कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जहां, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अर्थात् कलेक्टर उपयुक्त समझें, तहसीलदार या अपर तहसीलदार के स्थान पर किसी डिप्टी कलेक्टर या सहायक कलेक्टर को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त कर सकते हैं ।

3. जिन अधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने के लिए, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अतिरिक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनकी तथा जिन्हें विभिन्न स्तरों पर रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर, नियुक्त किया गया है उनकी सूची **परिशिष्ट–एक** में है। सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो उसे (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) प्रत्यायोजित की जाएं।

4. किसी मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी यदि गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण कार्य करने की स्थिति में न रहे तो आपात–व्यवस्था के तौर पर, पीठासीन अधिकारी, उपलब्ध किसी उपयुक्त व्यक्ति को मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है, परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को मतदान अधिकारी कदापि नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो पंचायत निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्य प्रकार के कार्य कर रहा हो।

———————————

अध्याय–2

पंचायत निर्वाचन से संबंधित कुछ बुनियादी बातें

राज्य में पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में कुछ बुनियादी बातें जानना जरूरी है। ये बातें निम्नांकित है :–

1. चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) के आधार पर होगा। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।

2. आम चुनाव में, प्रत्येक मतदाता अपनी ग्राम पंचायत के वार्ड के पंच के साथ–साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य (इस प्रकार 4 प्रतिनिधियों) का सीधे चुनाव करेगा। उप चुनाव में, केवल रिक्त पद के लिए चुनाव होगा। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। अतः किसी भी अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता।

सामान्यतया, आम चुनाव के समय, एक मतदान केन्द्र से लगभग 500 मतदाता सम्बद्ध किये जाते हैं। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में, मतदाताओं की संख्या के अनुसार, एक, दो या तीन मतदान केन्द्र रहते हैं। (कहीं–कहीं तीन से अधिक मतदान केन्द्र भी हो सकते हैं।) परन्तु प्रत्येक वार्ड, पूरे का पूरा एक ही मतदान केन्द्र से सम्बद्ध रहेगा; ऐसा नहीं कि उसका एक भाग एक मतदान केन्द्र के अंतर्गत आए और शेष भाग दूसरे के अंतर्गत।

3. मतदाताओं की सुविधा के लिए मतपत्र निम्नानुसार अलग–अलग रंगों के रहेंगे :–

(1) पंच के लिए सफेद, (2) सरपंच के लिए–नीला (3) जनपद पंचायत के लिए–पीला, तथा
(4) जिला पंचायत सदस्य के लिए–गुलाबी।

4. मतपत्रों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन प्रतीक मुद्रित रहेंगे।

5. प्रत्येक मतदान दल को सामान्यतया एक बड़ी मतपेटी दी जाएगी। कहीं–कहीं एक बड़ी और एक छोटी मतपेटी भी दी जा सकती है, पहले बड़ी मतपेटी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। छोटी मतपेटी का उपयोग बाद में, आवश्यकता पड़ने पर किया जावे।

6. पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के लिए चुनाव प्रतीक अलग–अलग रहेंगे। इन प्रतीकों की सूची **परिशिष्ट–दो** में है। प्रतीक जिस क्रम में दर्शाए गये हैं, उसी क्रम में हर मतपत्र में मुद्रित रहेंगे। प्रतीकों के बायीं ओर अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार लिखे जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों को, वर्णक्रम में उनके नाम के अनुसार प्रतीक आवंटित होंगे। अभ्यर्थियों को प्रतीकों का चयन करने की छूट नहीं हैं।

7. प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतपत्र का अनुक्रमांक (सीरियल नंबर) अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अगूंठा निशान लिये जायेंगे।

8. मतपत्र के पीछे, रबर की निम्नांकित सुभेदक मोहर लगाई जाएगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे :–

(क) पंच तथा सरपंच के मतपत्र के पीछे लगाई जाने वाली सुभेदक मोहर :–

खण्ड	वार्ड क्र.
मतदान केन्द्र क्र.	
ग्राम पंचायत	

(ख) जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के मतपत्र के पीछे लगाई जाने वाली सुभेदक मोहरः–

खण्ड.....	नि. क्षेत्र क्र.
	जन.....
मतदान केन्द्र क्र.	जि.....

9. मतदान केन्द्रों के क्रमांक (नम्बर) खण्डवार (अर्थात जनपद पंचायतवार) रहेंगे न कि जिलेवार। जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक भी खण्डवार (अर्थात् जनपद पंचायतवार) रहेंगे। केवल जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक सिलसिलेवार पूरे जिले के लिए रहेंगे।

10. मतदाता की बायी तर्जनी (उंगली) पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। मतदाता को पहले पंच तथा सरपंच पद के अभ्यर्थियों से संबंधित दो मतपत्र दिये जाएंगे और उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों से संबंधित दो मतपत्र दिये जायेंगे। सभी मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे।

11. आम चुनाव के समय मतदान केन्द्र के अन्दर की व्यवस्था **परिशिष्ट–तीन** के अनुसार रहेगी। केन्द्र में दो मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेंट) होंगे जिनमें से एक का उपयोग पंच तथा सरपंच के चुनाव हेतु दिये गये मतपत्रों पर मत अंकित करने के लिए किया जायेगा तथा दूसरे (कक्ष) का उपयोग जनपद पंचायत के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव हेतु दिये गये मतपत्रों पर मत अंकित करने के लिए किया जावेगा। उप चुनाव के समय, केन्द्र में केवल एक मतदान कक्ष रहेगा।

12. मतांकन घूमते हुए तीरों के चिन्ह वाली रबर की मोहर से किया जाएगा।

13. मतदान केन्द्र में अभ्यर्थीगण या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता एक से अधिक अभ्यर्थियों का अभिकर्ता हो सकता है। यदि कदाचित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियां या बेन्चों की व्यवस्था न की जा सके तो उनके बैठने के लिए दरी की व्यवस्था की जाएगी।

14. मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक रहेगा।

15. मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् सामान्यतया मतदान केन्द्र पर ही मतों की गणना की जाएगी। अपवाद वहीं होगा जहां कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण, जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) द्वारा खण्ड या तहसील मुख्यालय पर मतगणना कराने का विनिश्चिय किया गया हो या मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि वातावरण तनावपूर्ण होने के कारण, केन्द्र पर मतगणना कराए जाने पर हिंसा भड़क सकती है और उपलब्ध सुरक्षा बल उस पर काबू नहीं पा सकेंगे।

मतगणना का कार्य, पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने केन्द्र के मतदान अधिकारियों के सहयोग से किया जाएगा। मतगणना पूर्ण होने पर विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले मतों की संख्या का आख्यापन (ऐलान) किया जाएगा तथा उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/गणन अभिकर्ता को ''गणना–पर्ची'' की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें उसे प्राप्त मतों की संख्या का उल्लेख रहेगा। निर्वाचन के परिणाम की औपचारिक घोषणा रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा निम्नानुसार अगले दिन की जाएगी :–

(i)	पंच और सरपंच के मामले में	:	खण्ड या तहसील मुख्यालय पर, रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) अर्थात तहसीलदार/अपर तहसीलदार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)द्वारा,
(ii)	सदस्य, जनपद पंचायत के मामले में	:	खण्ड या तहसील मुख्यालय पर, रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) अर्थात् तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा,
(iii)	सदस्य, जिला पंचायत के मामले में	:	जिला मुख्यालय पर, रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)अर्थात् कलेक्टर द्वारा.

अध्याय–3

पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें

पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति उस विश्वास का प्रतीक है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने आपकी क्षमता में व्यक्त किया है । मतदान केन्द्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका परम कर्तव्य है । इसके लिए आपको सभी आवश्यक अधिकार भी दिये गये हैं । अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक से समझने के लिए आप इस ''मार्गदर्शिका'' का सावधानी से अध्ययन और अनुशीलन करें ।

आगे के अध्यायों में आपके विभिन्न कर्तव्यों का विस्तृत विवरण है । इस अध्याय में उन बातों का उल्लेख है जो आपके लिए विशेष ध्यान देने योग्य हैं। ये बातें निम्नानुसार हैं :–

(1) नियुक्ति आदेश प्राप्त होते ही आपको अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिल जाएगी । प्रशिक्षण के दौरान उनसे सम्पर्क साधें और परिचय प्राप्त करें।

(2) आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में जिज्ञासा और जागरूकता के साथ भाग लें तथा हर शंका और समस्या का समाधान करा लें ।

(3) मतदान तथा मतगणना के लिए दी जाने वाली सामग्री की सूची **परिशिष्ट–चार** में दी गई है। तद्नुसार दी गई सामग्री का सत्यापन कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि हर वस्तु पूरी मात्रा में और सही हालत में है ।

(4) मतदान केन्द्र में पहुंचने के पश्चात् आपको सब कुछ ठीक–ठाक होने के बारे में पुनः स्थिति और सामग्री का जायजा लेना चाहिए तथा यदि किसी प्रकार की सामग्री या सहायता की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिए तुरन्त आवश्यक संदेश भिजवाना चाहिए ।

(5) मतदान केन्द्र में पहुंचने के पश्चात्, वहां पर की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट मानसिक रूपरेखा बना लें, –विशेषकर इस दृष्टि से कि, मतदान केन्द्र के अंदर या बाहर भीड़ जमा न हो, मतदाताओं की कतारें ठीक से बने तथा मतदान की कार्यवाही, गोपनीयता का निर्वाह करते हुए, गतिपूर्वक चल सके । मतदान केन्द्र के अंदर की जमावट के बारे में, अपने सहयोगियों से भी परामर्श करें तथा कमरे के आकार तथा दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए **परिशिष्ट–तीन** के अनुसार अन्दर की व्यवस्था जमाएं ।

(6) मतदान प्रारंभ होने के पूर्व लगभग 50 प्रतिशत मतपत्रों को, उनके पीछे सुभेदक मोहर लगाकर तथा उनमें वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर तैयार कर लेना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उन पर अपने हस्ताक्षर करते जाना चाहिए । हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे किए जाने हैं, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं । ऐसी तैयारी कर लेने से आप समय पर मतदान प्रारम्भ करा सकेंगे और मतदान कार्य गतिपूर्वक चल सकेगा। ध्यान रखें कि आपको दी गई दो सुभेदक मोहरों में से एक पंच तथा सरपंच के मतपत्रों पर लगाने के लिए है और दूसरी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों के मतपत्रों पर उपयोग के लिए है।

(7) मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए आपको मतदाता सूची की 4 प्रतियां दी जाएंगी । एक आपके पास, एक मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास तथा एक–एक क्रमशः मतदान अधिकारी क्रमांक–2 एवं 3 के पास रहेगी । मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास ''मतदाता सूची को ''मतदाता सूची की चिन्हित प्रति'' कहा जाता है। मतदाता सर्वप्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के समक्ष आएगा, जो कि उससे (मतदाता से) उसका नाम पूछेगा

और फिर अपनी सूची में उसके नाम और अनुक्रमांक को जोर से पुकारेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक–1 को यह आश्वस्ति कर लेनी चाहिए कि मतदाता वही व्यक्ति है जो वह होने का दावा करता है। मात्र मतदाता द्वारा लाई गई पहचान पर्ची के आधार पर, उसे वही मतदाता मानते हुए मतपत्र नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी ''पहचान स्थापित हो जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक–1, मतदाता सूची में उसके नाम के नीचे एक रेखा खींच देगा और यदि वह महिला हो तो उसके नाम के प्रारंभ में सही का निशान (√) भी लगाएगा। तत्पश्चात् वह मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी के नाखून की जड़ के पास अमिट स्याही लगाकर उसे मतदान अधिकारी क्रमांक–2 के पास भेजेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक–2, उसके पास उपलब्ध मतदाता सूची की प्रतिलिपि से मतदाता का अनुक्रमांक, पंच तथा सरपंच के निर्वाचन के लिए दिये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णों (काउण्टर फाइल) में पृथक–पृथक अंकित करेगा और प्रतिपर्णों पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। इसी प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक–3, उसके पास उपलब्ध मतदाता सूची से मतदाता के अनुक्रमांक का उल्लेख जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों के प्रतिपर्णों पर करेगा और उन पर मतदाता के हस्ताक्षर कराएगा या अंगूठा निशान लेगा। यदि मतदाता हस्ताक्षर करने या अंगूठा नि ाान लगाने से इंकार करे तो उसे मतपत्र नहीं दिये जायेंगे।

(8) निर्वाचन की गोपनीयता बनाये रखने की दृष्टि से मतदाताओं को मतपत्र सिलसिलेवार नहीं दिये जाने चाहिये । मतपत्र की गड्डी में से, आगे, पीछे या बीच में कहीं से भी मतपत्र जारी किए जाने चाहिए । परन्तु मतदान के अंतिम चरण में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों के क्रमांक लगातार (सतत् श्रृंखला में) हो ताकि मतपत्रों का लेखा तैयार करने में कोई कठिनाई न हो।

(9) आपको मतदान के शांतिपूर्ण तथा सुचारू संचालन के लिए बराबर सजग और सचेष्ट रहना होगा। इस हेतु आपको छ.ग. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत काफी शक्तियां प्राप्त है। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण **परिशिष्ट–पांच** पर है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपसे व्यवहार कुशलता के साथ–साथ सौम्य दृढ़ता तथा निष्पक्षता अपेक्षित है। मतदान के दौरान आपको निरन्तर सतर्क रहना होगा।

(10) मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करें। मतदान अभिकर्ताओं से नियुक्ति पत्र प्राप्त करें और मतदान केन्द्र में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दें।

(11) मतदान का समय समाप्त होने के ठीक 5 मिनिट पूर्व इस संबंध में घोषणा करें और मतदान के लिए उपस्थित लोगों को एक कतार में खड़े होने के लिए कहें। मतदान समाप्त होने के नियत समय के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को कतार में शामिल नहीं होने दें। कतार में खड़े समस्त मतदाताओं को, कतार के अंतिम छोर से आरंभ करते हुए, अपने हस्ताक्षरयुक्त पर्चियां बांट दें। केवल ऐसी पर्चियों वाले मतदाताओं को ही मतदान करने की अनुमति दें।

(12) मतदान के पश्चात् आपको पंच, सरपंच आदि के मतपत्रों के लिए मतपत्र लेखा तैयार करने होंगे। इस कार्य में बहुत सावधानी की आवश्यकता हैं।

(13) विभिन्न लिफाफों में निर्वाचन संबंधी कागजात सील करते समय उनमें अंकित अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करें ताकि ऐसी कोई भूल न होने पाए जिसे बाद में सुधारने में परेशानी हो।

(14) पीठासीन अधिकारी की डायरी सावधानी से भरें ताकि उसमें मतदान/मतगणना से संबंधित आंकड़ों और तथ्यों में कोई त्रुटि न होने पाए। डायरी में महत्वपूर्ण घटनाओं का बिल्कुल तथ्यात्मक विवरण दें, जिससे उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता असंदिग्ध रहे।

(15) सामान्यतया कुछ अपवादिक मतदान केन्द्रों को छोड़कर मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जाएगी। मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व आपको गणन अभिकर्ताओं से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर उनकी पहचान के बारे में संतुष्टि कर लेनी चाहिए। मतगणना के पूर्व अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं को मतपेटियों का अवलोकन कराएं और उसके बाद ही मतगणना प्रारंभ करें। मतगणना केन्द्र में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दें। अनुशासन एवं शांति बनाये रखने के लिए केन्द्र पर नियोजित बल (पुलिस/होमगार्ड/कोटवार) को गणना कक्ष के द्वार के बाहर तैनात करें।

(16) मतगणना के लिए या तो सभी मेजें मिलाकर एक बड़ी गणना मेज बना लें या फिर जमीन पर चादरें बिछाकर मतगणना कराएं। अभ्यर्थियों तथा उसके गणन अभिकर्ताओं को इतने फासले पर बिठायें कि वे गणना कार्य तो देख सकें परन्तु उसमें कोई रूकावट पैदा न कर सकें। प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए मतपत्रों को देखने और अपना समाधान करने का उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु किसी भी हालत में, किसी मतपत्र को हाथ से छूने नहीं देना चाहिए।

(17) यदि मतगणना–कार्य सूर्यास्त से पहले पूरा होने की संभावना न हो तो पैट्रोमैक्स (गैसबत्ती) या लालटेन की पहले से ही व्यवस्था करके रखें।

(18) मतदान केन्द्र से अपने दल के साथ लौटने का स्वतंत्र कार्यक्रम न बनाएं और सुरक्षा कर्मियों सहित उसी वाहन से लौंटे जो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निर्देशानुसार की गई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आपको ले जाने और लाने के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

(19) निर्वाचन संचालन केन्द्र (अर्थात् खण्ड या तहसील मुख्यालय) में लौटने पर मतपेटियों मतगणना के परिणामों से संबंधित लिफाफों तथा अन्य सामग्री को वहां तैनात प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपे तथा उनसे रसीदें प्राप्त करने के बाद ही जाएं।

****

अध्याय–4

मतदान दल का प्रशिक्षण

पंचायतों के आम चुनाव के समय, सामान्यतया मतदान केन्द्र पर आपकी सहायता के लिए 3 या 4 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगें। ख्उपचुनाव में मतदान अधिकारियों की संख्या केवल 3 रहेगी ।, मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपके दल के मतदान अधिकारी क्रमांक–1 को उस स्थिति में जब आप किसी अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहें, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। आपको चाहिए कि दल के सदस्यों के बीच टीम–भावना' पैदा करें। इससे दल की कार्य–क्षमता बढ़ेगी और आपको अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी।

2. आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में अवश्य उपस्थित हों तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझ लें। मतपेटी को खोलने और बंद/सील करने की कार्यवाही स्वयं करके देख लें, और मात्र उनका प्रदर्शन देखकर ही संतुष्ट न हो जाएं। यदि प्रशिक्षण के दौरान यह कार्य आपने ठीक से करना नही सीखा तो मतदान केन्द्र में आप कठिनाई मे पड़ सकते है। वहां आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। इस कार्य को विश्वासपूर्वक करने के लिए बार–बार मतपेटी खोलें और बंद करें गोदरेज टाइप की मतपेटियों में 'पेपर सील' लगाने की कार्यवाही को भी ठीक से समझ लें।

3. मतपत्र लेखा तैयार करने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यदि आप पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हों, तब भी आपको प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पंचायत निर्वाचन की विधि और प्रकिया में अनेक ऐसी बातें हैं जो लोकसभा/विधानसभा के चुनावों से भिन्न हैं। मतगणना संबंधी निर्देशों का आपको विशेष सावधानी से अध्ययन करना चाहिए और उन्हें ठीक से समझ लेना चाहिए।

4. अपनी नियुक्ति के बाद आप मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनसे मिलें ।

5. सामान्यतया मतदान का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्, मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जाएगी, उस स्थिति को छोड़कर जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने पहले से ही आपके मतदान केन्द्र के मतों की गणना खण्ड या तहसील मुख्यालय पर कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया हो। अतः आपको मतगणना कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6. मतदान केन्द्र पर पहुंचने के बाद प्रत्येक सदस्य को उसके दायित्वों को स्पष्टतः समझाएं और कार्यक्षेत्र तथा प्रक्रिया के बारे में उनकी शंकाओं का निवारण करें।

******

अध्याय–5

मतदान एवं मतगणना सामग्री

आपको, अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ, मतदान के लिए निर्धारित तारीख के एक दिन पूर्व, सामग्री प्राप्त करने के लिये सामग्री वितरण केन्द्र (अर्थात् तहसील या खण्ड मुख्यालय) पर बुलाया जाएगा। वहां आपको मतदान सामग्री के साथ–साथ मतगणना में लगने वाली सामग्री भी दी जाएगी।

सामग्री लेते समय आप उसकी सावधानी से जांच–पड़ताल कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक वस्तु सही हालत में हैं। यदि कोई वस्तु न मिली हो तो उसे प्राप्त करें या अच्छी हालत में न हो तो उसे बदलवा लें।

2. आपको प्रदाय की गई सामग्री में निम्नाकिंत वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैः–

(1) मतपेटियां– यह जांच कर लें कि प्रत्येक मतपेटी चालू हालत में है तथा आसानी से खुल जाती है और बंद हो जाती है। पेटी खोलने और बंद करने का ठीक से पुनः अभ्यास कर लें। गोदरेज टाईप मतपेटी में पेपरसील लगाने का अभ्यास भी एक सादे कागज के टुकड़े से पुनः कर लें। पेटियां खोलने, बंद करने और इन्हें सील करने के संबंध में निर्देश परिशिष्ट–दस में हैं। उनका ठीक से अध्ययन कर लें।

(2) मतदाता सूची–आपको, आपके मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची की चार प्रतियां दी जाएंगी, जो कि हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित होंगीं।

यह आश्वस्ति कर लें कि सभी प्रतियों में प्रविष्टियां एक जैसी हैं; प्रत्येक में अनुपूरक सूची लगी है तथा वे सारे वार्ड सम्मिलित हैं, जो आपके मतदान केन्द्र से सम्बद्ध हैं। मतदाता सूची की चार प्रतियों में से एक प्रति आपके पास रहेगी तथा शेष तीन प्रतियों में से एक–एक प्रति मतदान अधिकारी क्रमांक–1 से लेकर 3 के पास रहेगी।

(3) मतपत्र– आपको, अपने मतदान केन्द्र से संबंधित मतपत्रों की गड्डियां तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचियां, (प्ररूप 8–क,+8–ख, 8–ग तथा 8–घ के अनुसार) दी जाएंगी। इनके नमूने परिशिष्ट–छः से नौ तक में दिए गए हैं।

मतपत्र निम्नानुसार अलग–अलग रंगों के कागज में छपे रहेंगे :–

(i) पंच के लिए– सफेद, (पप) सरपंच के लिए–नीला, (पपप)जनपद पंचायत सदस्य के लिए–पीला,एवं (पअ) जिला पंचायत सदस्य के लिए–गुलाबी।

आपको मतपत्र 50–50 गड्डियों में दिये जाएंगे। एक या दो गड्डियां 20 या 10 मतपत्रों की भी हो सकती हैं। आपके मतदान केन्द्र से संबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या को अगले दशांक तक पूर्ण करने पर जो संख्या आवेगी, उतने मतपत्र आपको दिये जावेंगे।

मतपत्रों पर अंकित अनुक्रमांक सिलसिलेवार रहेंगे। आप सावधानीपूर्वक यह देख ले कि प्रत्येक मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर मुद्रित अनुक्रमांक एक से हैं। इसी प्रकार यह भी देख लें कि प्रत्येक मतपत्र में चुनाव प्रतीक ठीक से मुद्रित हैं। यदि अनुक्रमांक एक से नहीं है या किसी मतपत्र में प्रतीक ठीक से मुद्रित नहीं है तो ऐसे मतपत्र के ऊपर दो तिरछी लाइनें (×) खींच कर उसे रद्द कर दें। ऐसा मतपत्र किसी मतदाता को जारी नहीं किया जाएगा।

(4) सुभेदक मोहर :– प्रत्येक मतपत्र के पीछे आपको अध्याय–2 की कण्डिका 8 में वर्णित सुभेदक मोहर लगानी होगी और उसमें अंकित रिक्तियों को भरना होगा। आपको दो सुभेदक मोहरें दी जाएंगी जिनमें से एक पंच तथा सरपंचों के मतपत्रों तथा दूसरी (दोहरे बार्डर वाली) जनपद पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य के मतपत्रों के लिए है। सादे कागज पर इनका ठप्पा लगाकर देख लें कि ये साफ निशान बनाती हैं।

(5) स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशीः–यह देख लें कि अमिट स्याही की शीशी में स्याही पर्याप्त मात्रा में है तथा स्टाम्प पैड सूखा हुआ नहीं है ।

(6) अभ्यर्थियों की सूची– प्रत्येक स्थान (सीट) के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की 3 सूचियां आपको दी जायेगी। इन सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रम अनुसार लिखे होंगे तथा उनके चुनाव प्रतीक भी दर्शाये रहेंगे। मतदान केन्द्र में पहुंचने पर इनमें से एक प्रति आपको मतदान केन्द्र से बाहर सूचना फलक पर लगानी होगी तथा दूसरी प्रति केन्द्र के अंदर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगानी होगी। तीसरी सूची आपके पास संदर्भ के लिए रहेगी।

(7) पेपर सीलें.– यदि आपको गोदरेज टाइप मतपेटी दी गई हों तो उसे बंद करते समय आपको सादे कागज की सील (पेपर सीलें) लगानी होगी। अतः यह देख लें कि आपको आवश्यक संख्या में पेपर सीलें दी गई है।

(8) घूमते हुए तीरों वाली रबर की मोहरें.– मतदाताओं को मत अंकित किये जाने के लिए आपको घूमते हुए तीरों के चिन्ह वाली 4 रबर की दो मोहरें दी जाएंगी। सादे कागज पर इनका ठप्पा लगाकर यह देख लें कि ये सभी मोहरें पूरा और साफ निशान बनाती हैं।

(9) प्ररूप, लिफाफे तथा अन्य सामग्री.– मतदान सम्पन्न कराने के लिए आपको जो विभिन्न प्ररूप, लिफाफे तथा अन्य सामग्री दी जाएगी उसका विवरण परिशिष्ट–चार में दिया गया है। इस परिशिष्ट में उस सामग्री का भी विवरण है जो, आपको मतगणना के लिए दी जाएगी। यह देख लें कि आपको इस परिशिष्ट में उल्लेखित प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो गई हैं।

(10) विविध :– मतदान केन्द्र के इर्द–गिर्द 100 मीटर की सीमा द र्शाने के लिए लगाए जाने वाले मुद्रित सूचना पत्र आदि ।

****

अध्याय–6

मतदान केन्द्र की व्यवस्था

आपको तथा आपके मतदान दल के सदस्यों को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था खण्ड या तहसील मुख्यालय पर (अर्थात् निर्वाचन संचालन केन्द्र पर) की जाएगी। वहां तक आपको स्वयं ही, उस तारीख को पहुंचना होगा जो आपको भेजे गये नियुक्ति आदेश/सूचना पत्र में अंकित हैं। सामान्यतया आपको इस केन्द्र पर मतदान की तारीख के एक दिन पूर्व बुलाया जाएगा ताकि आप मतदान एवं मतगणना की सामग्री प्राप्त कर उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे तक, अपने मतदान केन्द्र पर पहुंच सकें।

2. यदि आपके दल का कोई मतदान अधिकारी, मतदान की तारीख के पहले दिन की शाम तक मतदान केन्द्र में उपस्थित न हो या वहां पहुंचने गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाए तो आप उसके स्थान पर किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने की कार्यवाही कर सकते हैं, परन्तु उपयुक्त यह होगा कि आप सर्वप्रथम ऐसे अनुपस्थित/अस्वस्थ्य मतदान अधिकारी के स्थान पर कोई एवजीदार भेजे जाने का आग्रह अपने क्षेत्रीय (जोनल) अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर से करें। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में आपको नियुक्ति करनी ही पड़े तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न करें जो किसी अभ्यर्थी का सक्रिय समर्थक हो या किसी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता हो।

3. यदि आप गंभीर अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारण से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की स्थिति में न हों तो जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) /रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहले से प्राधिकृत मतदान अधिकारी (अर्थात् मतदान अधिकारी क्रमांक–1) आपके स्थान पर कार्य करेगा।

4. आप मतदान केन्द्र पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते है।

5. मतदान केन्द्र में पहुंचकर सबसे पहले मतदान केन्द्र के भवन का निरीक्षण करें। आदर्श मतदान केन्द्र का अभिन्यास परिशिष्ट–तीन में दर्शाया गया है। केन्द्र पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि–

(1) पुरूषों और महिलाओं के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थान हो।

(2) मतदाताओं के आने–जाने के रास्ते अलग–अलग हों। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बांधकर अंदर जाने और बाहर निकलने के अलग–अलग रास्ते बनाने की व्यवस्था की जाए।

(3) मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के ठीक पीछे या वहां पर्याप्त स्थान न होने पर, एक किनारे की तरफ करें ताकि वे (अभिकर्तागण) मतदान के लिए आये मतदाता का चेहरा आसानी से देख सकें और जरूरत पड़ने पर उसकी ''पहचान'' को चुनौती दे सकें।

(4) मतदान कक्ष में (जहां आकर, मतदाता मतपत्र पर चिन्ह लगाएगा) इस तरह की आड़ (ओट) हो कि कोई यह न जान सके कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है।

(5) मतदान कक्ष के भीतरी भाग में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।

(6) केन्द्र के अंदर मतदान कक्ष ऐसे स्थान पर बनाएं जाने चाहिए और मतपेटियों को ऐसी जगह रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं को ज्यादा आड़ा–तिरछा न चलना पड़े।

(7) मतदान केन्द्र के अन्दर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को, जिसका संबंध किसी मतदाता के चुनाव प्रतीक से जोड़ा जा सके, हटा लें।

———————

अध्याय–7

मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन

मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण संचालन के लिये विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए:–

मतदान अधिकारी क्रमांक–1

यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा वार्ड क्रमांक पूछेगा और मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढेगा। नाम खोज लेने के पश्चात् वह उसका जोर से उच्चारण करेगा। मतदाता द्वारा लाई गई मात्र पहचान पर्ची के आधार पर उसे वही मतदाता नहीं मान लिया जाना चाहिए। मतदाता की पहचान (आयडेन्टिटी) के संबंध में मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति न की जाने पर मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा यदि मतदाता महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिन्ह (√) भी लगाएगा। यही अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी (अंगूठे के बाद की उंगली) के नाखून की जड़ के पास अमिट स्याही का निशान भी लगाएगा। बाएं हाथ में तर्जनी न होने की स्थिति में बाएं हाथ की किसी भी उंगली पर और बाएं हाथ में उंगली न होने पर दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएगा। तदुपरान्त मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक–2 के सम्मुख जाएगा।

मतदान अधिकारी क्रमांक–2

यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र देगा। पंचायतों के आम चुनाव में मतदाता को पहले, पंच पद और सरपंच पद के लिए क्रमशः (सफेद और नीले रंग के) मतपत्र दिये जाएंगे। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी है कि मतदाता को पंच पद हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है।कार्य निष्पादन में सुविधा एवं सुगमता के लिए इस अधिकारी को चाहिए कि वह कागज के चौकोर टुकड़ो पर वार्डों के क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका लें और संबंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियों को इन्हीं के ऊपर रखे। ऐसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। यह अधिकारी मतदाता–सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक, पंच पद के लिए उसे दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अगूंठा निशान लेगा। यही अधिकारी मतदाता को सरपंच पद के लिए मतपत्र देगा और मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची में उसका अनुक्रमांक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। मतपत्र देते समय यह अधिकारी मतदाता के नाम के सामने सही का निशान (√) लगाता जाएगा ।

यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से अंगूठे का निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा।

प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिये जाने या अगूंठा निशान लगा लिए जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मोड़कर मतपत्र देगा और साथ में, मत अंकित करने के लिए ''घूमते हुए तीरों वाली'' रबर की मोहर स्याही लगाकर देगा तथा उसे पहले वाले मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने तथा उसके बाद बीच में मतपेटी में मतपत्र डालने के बारे में समझाइश देगा। मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में आड़ा करके मोड़ा जाएगा, लेकिन यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक हो और इस कारण मतपत्र दो खानों में छपा हो तो उसे

पहले दोनों अर्ध भागों के बीच से खड़ा मोड़ा जाएगा और तत्पश्चात् दोनों भागों को बांटने वाली छायांकित (खड़ी रेखा) के ऊपर मोड़ा जाएगा। उपरोक्तानुसार मोड़ने के बाद मतपत्र पुनः खोलकर मतदाता को दिया जाएगा।

मतदान अधिकारी क्रमांक–3

इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक–2 के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि यह अधिकारी मतदाता को जनपद पंचायत के सदस्य के लिए (पीले रंग का) मतपत्र तथा जिला पंचायत के सदस्य के पद के लिए (गुलाबी रंग का) मतपत्र देगा तथा उनमें प्रत्येक के प्रतिपर्ण में मतदाता सूची में अंकित मतदाता या अनुक्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यह अधिकारी मतदाता को यह भी समझाइश देगा कि अब वह दूसरे वाले मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करे और तत्पश्चात् बीच में रखी मतपेटी में मतपत्र डाले।

मतदान अधिकारी क्रमांक–4

इस अधिकारी का कर्तव्य अन्य अधिकारियों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। इसे बीच में रखी मतपेटी पर सतत निगाह रखनी है और यह देखना है कि मतदाता, मत अंकित करने के पश्चात् मतपत्र पेटी में ही डाले। यह अधिकारी बीच–बीच में ''पुशर'' की सहायता से मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अंदर ढकेलता भी रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। साथ ही यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर भेजने, मतपेटी में मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात् शीघ्रता से बाहर निकलने में उनकी सहायता करेगा।

टीप– यदि केवल एक या दो स्थानों (सीट्स) के लिए ही निर्वाचन हो रहा हो तो मतदान केन्द्र में 4 के बजाय केवल 3 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और वैसी स्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक–3 के कर्तव्यों का निर्वहन मतदान अधिकारी क्रमांक–2 द्वारा किया जाएगा. ऐसे मतदान केन्द्र में दो मतदान कक्षों के बजाय केवल एक मतदान कक्ष का प्रावधान किया जाना पर्याप्त होगा।

———————————————

अध्याय–8

मतदान के पूर्व की तैयारियां

1. मतपत्र अधिप्रमाणित करना:

मतदान केन्द्र पर पहुंचने के पश्चात् आपका एक महत्वपूर्ण कार्य मतदान के लिए मतपत्र अधिप्रमाणित करना होगा। मतपत्र अधिप्रमाणित करने से आशय, मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने वाले मतपत्रों के पीछे की तरफ सुभेदक मोहर लगाना है। प्रारंभ में केवल लगभग पचास प्रतिशत मतपत्रों के पीछे ही सुभेदक मोहर लगाएं।

(i) पंच और सरपंच के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों के पीछे निम्नांकित सुभेदक मोहर लगाई जाए:–

खण्ड.....	वार्ड क्र.
मतदान केन्द्र क्र.....	
ग्राम पंचायत.....	

इस मोहर में खण्ड का नाम, सामान्यतया पहले से ही लिखा रहेगा। आपको, वार्ड का क्रमांक केवल पंच के निर्वाचन से संबंधित (सफेद रंग के) मतपत्रों में भरना होगा। सरपंच से संबंधित (नीले रंग के) मतपत्रों में वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों के पीछे दोहरे बार्डर वाली निम्नांकित सुभेदक मोहर लगाई जाए :–

खण्ड.....	नि. क्षेत्र क्र.
	जन.....
मतदान केन्द्र क्र.....	जि.....

इस मोहर में भी खण्ड का नाम पहले से लिखा रहेगा। आपको केवल मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरना होगा। जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों पर केवल जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरा जाए। उनमें जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों पर केवल जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरें और उनमें जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक न भरें।

(iii) मतपत्रों पर सुसंगत सुभेदक मोहर लगाने तथा उनमें उपरोक्तानुसार वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिखने के पश्चात् आपको मोहर के नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने का काम आपको मतदान की सुबह ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्रारम्भ में कुछ मतपत्रों पर ही

हस्ताक्षर करें और उसके बाद में जैसे–जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जावे, उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते रहें। प्रयास यह हो कि मतदान के अंत में हस्ताक्षरित मतपत्र कम से कम संख्या में बचें।

2. सूचनाओं का प्रदर्शन :

(1) मतदान के लिए निर्धारित समय के कम से कम आधा घंटा पहले आप मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर निम्नांकित सूचनाओं को सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें :–

(क) उस ग्राम पंचायत का नाम तथा उसके वार्डों के क्रमांक दर्शाने वाली सूचना, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार है, (परिशिष्ट–ग्यारह); और

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की वर्णक्रमानुसार तैयार की गई सूची, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हों। (परिशिष्ट छः से नौ)

(2) 'छत्तीसगढ़ स्थानीय अधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964' की धारा 6(1) के अनुसार मतदान केन्द्र के इर्द–गिर्द 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान की तारीख को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाना चाहिए और न ही किसी मतदाता से मतों की संयाचना की जानी चाहिए। अतः मतदान केन्द्र के चारों ओर "100 मीटर" की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पोस्टर भी यथास्थान लगा दें। ये पोस्टर आपको मतदान सामग्री के साथ प्रदाय किए जाएंगे।

उपरोक्त सूचनाओं को मतदान की तारीख की पूर्व संध्या को ही तख्ती या कार्ड–बोर्ड में चिपकाकर तैयार कर लें।

3. मतपेटी तैयार करना :

(1) (i) मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करने के लिए आपको एक मतपेटी पहले ही तैयार कर लेनी होगी। मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के 20 मिनिट पूर्व प्रारंभ कर दें। जो अभ्यर्थी या जिनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हों, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें और उन्हें यह दिखा दें कि मतपेटी रिक्त है तथा उसके अंदर कुछ भी नहीं है । तत्पश्चात् जिस टाइप की मतपेटी आपको दी गई है, उस टाइप के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मतपेटी तैयार करें। गोदरेज टाइप मतपेटियों के लिए आपको जो सादी पेपर सीलें दी गई हैं उनमें से एक को मतपेटी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधानी से लगाएं। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी अपने हस्ताक्षर करें।

(ii) मतपेटी को सीलबद करने के पूर्व उसके अंदर निम्नानुसार एक पते की चिट भी डालें:–

खण्ड .....
मतदान केन्द्र क्रमांक .....
ग्राम .....
मतपेटी क्रमांक .....

इस चिट में मतपेटी का क्रमांक 1 या 2 उसी क्रम में लिखा जाए जिस क्रम में मतपेटियां एक के बाद एक उपयोग में लाई गई है। यदि मतगणना खण्ड या तहसील मुख्यालय में की जाने वाली हो तो मतपेटी सील करने के पश्चात् ऐसी ही एक चिट मतपेटी के हैण्डल पर भी बांध दें। यदि मतगणना का कार्य मतदान केन्द्र पर ही किया जाने वाला हो तो मतपेटी के हैण्डल पर चिट बांधने की जरूरत नहीं है। मतपेटी तैयार और सीलबंद करने की प्रक्रिया मतपेटी के टाइप अनुसार क्रम ाः परिि ाश्ट दस में वर्णित है।

सीलबंद करने के बाद मतपेटी को अपने बैठने के स्थान के पास रख दें। मतदान की कार्यवाही प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उसे निर्धारित स्थान पर, एक स्टूल या मेज के ऊपर रखें।

(2) अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरंभ होने के कम से कम 20 मिनिट पहले केन्द्र में पहुंचने की अपेक्षा है, ताकि वे मतपेटी तैयार करने की आरंभिक कार्यवाही को देख सकें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आये तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरंभिक कार्यवाही नये सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) हो सकता है कि जब आप मतपेटी तैयार करने लगें तो उसे दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त होना पाएं। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई और मतपेटी न हो तो, आप मतदान का कार्य उपलब्ध क्षतिग्रस्त मतपेटी से ही प्रारंभ करें। दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त मतपेटी को सुतली या डोरी से बांध दें और (उसकी) गांठ को दफ्ती या मोटे कागज के एक टुकड़े पर टिकाते हुए चपड़ी से सील कर दें। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी अपनी सील लगाने का अवसर दें। इस तथ्य का उल्लेख अपनी डायरी में ''अन्य महवपूर्ण घटना'' शीर्षक के अंतर्गत करें।

अध्याय–9

मतदान

1. मतदान केन्द्र में प्रवेश

(1) आपको चाहिए कि मतदान केन्द्र के अंदर भीड़ न होने दें। इसके लिए आप केन्द्र के बाहर लगी कतारों में से बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं को सीमित संख्या में मतदान केन्द्र के अंदर आने की अनुमति दें। निम्नांकित प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर आप अन्य किसी भी व्यक्ति को, मतदान केन्द्र के अंदर आने से रोक सकते हैं तथा वहां से हटा सकते हैंः–

(i) निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(ii) अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता

(iii) मतदाता के साथ गोदी का शिशु,

(vi) अंधे या विकलांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति, तथा ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या आपके द्वारा मतदाताओं को पहचानने के लिए नियोजित किया गया है.

(2) मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी या विशेष पुलिस अधिकारी सामान्यता केन्द्र के बाहर की ड्यूटी पर रहेंगे, जब तक कि व्यवस्था बनाए रखने के लिये आप उन्हें अन्दर न बुलाएं।

(3) महिला मतदाताओं की सहायता के लिये आप स्थानीय किसी महिला कर्मचारी को नियोजित कर सकते है, परन्तु उसे मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठाएं और मतदान केन्द्र के अंदर तभी बुलाएं जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिये या उसकी तलाशी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिये उसकी आवश्यकता हो।

(4) यदि आपको लगे कि मतदान केन्द्र पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान के सुचारू संचालन में व्यवधान पैदा कर रहा है, तो आप उसे चले जाने के लिए कहें। फिर भी यदि वह न जाए तो उसे हटाए जाने के लिए केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मी को निर्देश दे सकते है।

(5) निर्वाचन ड्यूटी के दौरान, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, आपको केवल राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के निर्देशों का पालन करना है। इस दौरान अपने विभाग के उच्चाधिकारियों या अन्य किसी व्यक्ति से कोई आदेश न लें.

2. अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था :

(1) पंचायत निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक रहने के कारण मतदान केन्द्र पर सभी अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को बैठाने में कठिनाई होती है और कई बार तो इस कारण अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे मतदान में बाधा पड़ती है. अतः आयोग ने यह निर्णय लिया है कि यदि निर्वचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6 से अधिक हो तो अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निम्नानुसार 2,3 या 4 समूहों में बांट दिया जाए और प्रत्येक समूह को मतदान के दौरान 2–2 घंटे के लिये मतदान केन्द्र के अंदर बैठने की अनुमति दी जाएः–

	अभ्यर्थियों की संख्या		समूहों की संख्या
(1)	6 तक	–	1
(2)	7 से 12 तक	–	2
(3)	13 से 18 तक	–	3
(4)	18 से अधिक	–	4

प्रत्येक समूह में पंच, सरपंच, सदस्य जनपद पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के स्थान (सीट) के लिये निर्वाचन लड़ने वाले कम से कम एक व्यक्ति को शामिल किया जाए, समूह का गठन उसी क्रम से किया जाए जिस क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट–6 से 9 तक (अथवा मतपत्र) में उल्लिखित हों ।

प्रथम समूह के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतदान प्रारंभ होने के समय से 2 घंटे के लिये, अर्थात् 7.00 से 9.00 बजे तक मतदान केन्द्र के अंदर बैठने की सुविधा दी जाए. तत्पश्चात् दूसरे समूह और उसके तीसरे और चौथे समूह के अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को बारी–बारी से दो–दो घंटे के लिए मतदान केन्द्र के अंदर बैठने दिया जाए. यदि कोई अभ्यर्थी अपने अभिकर्ता की जगह स्वयं बैठना चाहे तो, स्वयं उसके अभिकर्ता को बाहर जाना होगा।

लेकिन प्रारंभ में जब कि मतपेटी मतदान के लिये तैयार की जा रही हो और मतदान समाप्त होने के पश्चात् जब कि मतपेटी सील बंद की जा रही हो, समस्त अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता मतदान केन्द्र में उपस्थित रह सकते हैं और उनमें से जो भी चाहे, मतपेटी पर अपनी सील लगा सकते हैं।

इसी प्रकार मतगणना के समय भी प्रत्येक अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर चल रही मतों की गणना देख सकता है और बंद किये जाने वाले लिफाफों आदि में अपनी सील लगा सकता है।

(2) मतदान केन्द्र के अंदर बैठने की अनुमति देने के पूर्व प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को अपना नियुक्ति पत्र, जो कि परिशिष्ट–बारह (प्ररूप–10) में होगा, प्रस्तुत करने को कहें, यह ठीक से देख लें कि नियुक्ति आपके मतदान केन्द्र के लिये ही की गई है, तत्पश्चात् उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने को कहें, प्राप्त नियुक्ति पत्रों को संभाल कर रखें और मतदान के बाद उन्हें निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–9) में डालें।

(3) अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के ठीक पीछे बिठाएं यदि प्रवेश द्वार की विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा करने में कोई अड़चन हो तो उन्हें ऐसी जगह बिठाएं कि वे मतदाताओं के चेहरे आसानी से देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर किसी मतदाता की पहचान के संबंध में अभ्याक्षेप (आपत्ति) कर सकें।

मतदान केन्द्र में प्रवेश संबंधी अनुशासन को दृढ़ता से लागू करें अन्यथा वहां भीड़–भाड़ हो जाएगी और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या पैदा होगी।

3. मतदान का प्रारंभ

(1) मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करें। यदि किसी कारण से मतपेटी तैयार करने में कुछ विलम्ब हो जाए, हालांकि ऐसा होना बहुत अवांछनीय होगा, तो आप निर्धारित समय पर 5–7 मतदाताओं को केन्द्र में प्रवेश दे दें तथा मतदान अधिकारी क्रमांक–1 से उनकी पहचान आदि की कार्यवाही करने को कहें। ध्यान रखें कि मतदान प्रारम्भ करने में हुए इस प्रकार के विलम्ब के बावजूद मतदान बंद करने के लिए निर्धारित समय को आप और आगे नहीं बढ़ा सकते।

(2) मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व सभी उपस्थित लोगों (ड्यूटी पर तैनात मतदान अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं) को मत की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में उनके कर्तव्य तथा उसके उल्लंघन के लिए दण्ड के बारे में 'छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964' (परिशिष्ट–पांच) की धारा 14 के प्रावधान की जानकारी दे दें।

(3) (i) मतदान केन्द्र में प्रत्येक मतदाता के प्रवेश करने पर मतदान अधिकारी क्रमांक–1, उसके नाम का और उसके द्वारा बताए गये अन्य ब्यौरों का मतदाता सूची में दी गई संगत विशिष्टियों से मिलान करेगा और इसके बाद वह मतदाता का अनुक्रमांक तथा नाम जोर से पढ़कर सुनाएगा।

(ii) मतदाता की पहचान (आयडेन्टिटी) को कोई चुनौती न दिये जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक–1 वह सारी कार्यवाही करेगा जिसका उल्लेख अध्याय–7 में किया गया है। यदि चुनौती दी जाए तो वह अध्याय–10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

तदुपरान्त मतदान अधिकारी क्रमांक–2 तथा क्रमांक–3 भी बारी–बारी से वे सारे कार्य करेंगे जिनका विवरण अध्याय 7 में दिया गया है ।

(iii) मतदान में प्रतिरूपण रोकने के एक पूर्वोपाय के रूप में मतदाता की पहचान स्थापित हो जाने पर:–

(क) उसके बाएं हाथ की तर्जनी (अंगूठे के बाद की उंगली) के नाखून की जड़ के पास अमिट स्याही का निशान लगाया जाए। बाएं हाथ की तर्जनी न होने की स्थिति में उसके बाद की उंगली पर और बाएं हाथ में कोई उंगली न होने पर दाएं हाथ की तर्जनी पर, स्याही का निशान लगाया जाए, तथा

(ख) मतदाता को मतपत्र दिये जाने के पूर्व, मतपत्र के प्रतिपर्ण पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाए।

यदि कोई मतदाता अमिट स्याही का निशान लगाने से मना करे अथवा मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाए।

(iv) मतदान अधिकारी क्रमांक–1 को अमिट स्याही की शीशी को बहुत सावधानी से संभालकर रखने के लिए कहें। शीशी को लुढ़कने से बचाने के लिए उसे किसी कप या टीन के खाली डिब्बे या चौड़े पैदे वाले किसी बर्तन में, कुछ बालू या गीली मिट्टी में मजबूती से जमा कर रखा जाना चाहिए। शीशी में लगी प्लास्टिक या कांच की छड़ खड़ी करके रखी जानी चाहिए तथा उसे मतदाता की तर्जनी पर चिन्ह लगाने के अलावा बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए।

(v) मतदान के पश्चात् मतदाता को शीघ्र बाहर जाने को कहा जाए। जिस कमरे में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया हो उसमें यदि दो दरवाजे हों तो एक दरवाजे का उपयोग केवल मतदाताओं के बाहर निकलने के लिए किया जाए।

(vi) अंधेपन या शारीरिक असमर्थता के कारण यदि कोई मतदाता मतपत्र पर बने प्रतीकों को पहचानने में या बिना किसी की सहायता के प्रतीक पर मोहर लगाने में असमर्थ हो या विकलांगता के कारण मतपत्र मतपेटी में डालने में असमर्थ हो तो आप ऐसे मतदाता को, उसकी इच्छा के अनुसार मतपत्र पर मतांकन करने और मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालने के लिए अपने साथ एक साथी को (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो) मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति दें। परन्तु इसके पूर्व ऐसे साथी से प्ररूप 13–क में जो कि परिशिष्ट–तेरह पर दिया गया है, यह घोषणा प्राप्त की जाए कि उसने उस दिन अन्य किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है तथा वह मत की गोपनीयता बनाए रखेगा। इस प्रकार के मतदाताओं का विवरण सूची प्ररूप 13–ख में, जो कि परिशिष्ट–चौदह में उद्घृत है, अंकित करें।

(vii) पुरूष तथा स्त्री मतदाताओं को बारी–बारी से 4–5 की टोलियों में मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश देने की व्यवस्था करें। जिन महिलाओं की गोद में बच्चे हों उन्हें प्रवेश देने में प्राथमिकता दें।

(viii) मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह वांछनीय है कि संबंधित मतदान अधिकारी मतपत्रों की गड्डी से मतपत्रों को अनुक्रमांकवार जारी न करते हुए आगे–पीछे से करें। ऐसा करने से कोई यह अंदाज नहीं लगा पाएगा कि किस मतदाता को कौन से अनुक्रमांक का मतपत्र मिला है। परन्तु मतदान के अंतिम चरण में (अर्थात् मतदान बंद होने के समय) मतपत्र क्रमवार जारी करना ही उपयुक्त होगा, जिससे कि मतपत्र लेखा बनाने में कोई परेशानी न हो।

(ix) यदि कोई मतदाता असावधानी से, जिसके पीछे, उसकी दुर्भावना न हो, अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके संबंध में आप अपना समाधान कर लेने के पश्चात् उसे दूसरा मतपत्र दे सकते है। इस प्रकार लौटाए गये मतपत्र पर ''खराब–रद्द किया गया'' शब्द अंकित करें और उसे अलग रखें।

(x) मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसे आपको लौटाना चाहे तो आप उसे भी ले लें। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर ''लौटाया गया–रद्द किया गया'' शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग रखें।

(xi) यदि मतदाता को जारी कोई मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाये और ऐसा मतपत्र मतदान केन्द्र में या उसके निकट किसी भी स्थान पर पाया जाए तो उसे भी ''लौटाया गया–रद्द किया गया'' समझा जाए और उसके संबंध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाए।

4. ड्यूटी पर तैनात अभिकर्ताओं द्वारा मतदानः

अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, जो उस ग्राम का मतदाता हो जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है अपनी ड्यूटी के मतदान केन्द्र पर अपना मतदान कर सकता है।

5. मतदान केन्द्र के अंदर व्यवस्था बनाए रखना

(i) आपसे यह अपेक्षित है कि आप मतदान केन्द्र के अंदर अनुशासन बनाए रखें जिससे मतदान शान्ति से और गतिपूर्वक सम्पन्न हो सके।

(ii) मतदान केन्द्र के अंदर, किसी को धूम्रपान की अनुमति न दें। यदि कोई अभ्यर्थी/अभिकर्ता धूम्रपान करना चाहे तो उसे केन्द्र के बाहर जाने को कहें।

(iii) किसी भी अभिकर्ता को मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों के अनुक्रमांक नोट न करने दें। अभिकर्ताओं को आपस में बातचीत करने या अपने स्थान से खड़े होने, उठ कर इधर–उधर चलने से भी रोकें।

(iv) मतदान के दौरान आप ऐसे व्यक्ति को जो आपके विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करे, मतदान केन्द्र से बाहर भेज सकते हैं।

6. मतदान केन्द्र पर फोटो खींचना

पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। परन्तु बगैर आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिये गये अधिकार–पत्र के, उन्हें मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश न दें। किसी भी परिस्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष के निकट (जहां कि मतदाता, मतपत्र पर निशान लगाता है) न जाने दें और न ही मतांकन करते हुए किसी मतदाता का फोटो लेने दें।

7. केन्द्र पर प्रेक्षक/क्षेत्रीय अधिकारियो का आगमनः

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के सिलसिले में नियुक्त प्रेक्षक मतदान की अवधि के दौरान कभी भी आपके मतदान केन्द्र में आ सकते है। पहचान में आसानी के लिए वे या तो "बैज पहिने रहेंगे या आपको अपना पास या नियुक्ति पत्र दिखायेगें। उनके द्वारा आपको कोई निर्देश नहीं दिये जाएंगे किन्तु यदि वे आपके मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को हो रही असुविधा के दूर करने या मतदान की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और सरल बनाने की दृष्टि से कोई बात कहें तो उस पर अवश्य विचार करें। उनकी पृच्छाओं का आदरभाव के साथ जवाब दें।

मतदान के दौरान बीच–बीच में आपके केन्द्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटिर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जैसे कि क्षेत्रीय (जोनल) अधिकारी या मजिस्ट्रेट आएंगे। उन्हें ऐसी हर समस्या या कठिनाई से अवगत कराएं जिसका आप सामना कर रहे हैं। वे आपकी सहायता के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। अतः उनसे सहायता मांगने या उन्हें अपनी परेशानी बताने में कोई संकोच न करें।

8. एक मतपेटी भर जाने पर दूसरी मतपेटी का उपयोगः

जब पहली मतपेटी भरने लगे तथा "पुशर" से दबाने के बाद भी मतपेटी में मतपत्र डालने में कठिनाई प्रतीत हो तो दूसरी मतपेटी तैयार करके रख लें। पहली मतपेटी के भरते ही इस दूसरी मतपेटी का उपयोग प्रारम्भ कर दें। साथ ही, पहली मतपेटी की दरार (स्लिट) को, जिसमें से मतपत्र डाले जाते है, निर्धारित प्रकिया के अनुसार बन्द कर दें। भरी हुई मतपेटी अपने बैठने के स्थान के पास या उस मेज के नीचे रखें, जिसके ऊपर मतदान के लिए नई मतपेटी रखी गई है। यदि मतगणना केन्द्र पर न की जाकर, खण्ड या तहसील मुख्यालय पर की जाना हो तो उपयोग में लाई गई मतपेटी को सील भी किया जाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता मतपेटी पर अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दें।

9. मतदान समाप्ति की घोषणाः

(1) पंचायत निर्वाचन में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रखा गया है। परन्तु इसमें परिवर्तन संभव है।

(2) मतदान बंद करने के लिए नियत समय के पांच मिनिट पहले मतदान केन्द्र के बाहर यह ऐलान करें कि मतदान के लिए केवल पांच मिनिट का समय शेष है, अतः जो लोग मतदान करने के इच्छुक हों वे एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। जैसे ही 3.00 बजे का समय हो, मतदान केन्द्र के बाहर पंक्ति में खड़े लोगों में, आखरी मतदाता से प्रारम्भ करते हुए, अपनी हस्ताक्षर वाली पर्चियां बांटते चले जाएं। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को कतार में खड़ा न होने दें। यदि आप कुछ पर्चियां पहले से ही बनाकर तैयार रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मतदान बंद होते समय जो लोग पंक्ति में शामिल हो चुके हों, उनके अतिरिक्त और किसी को बीच में न घुसने दें। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी को निर्देशित करें। ऐसे सभी मतदाता जिन्हें कि आपने पर्ची दी है, मतदान के अधिकारी है। उनके लिए मतदान का कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनमें से आखरी व्यक्ति अपना मत नहीं दे देता। तत्पश्चात् आप मतदान समाप्त होने की घोषणा करें।

(3) मतदान बंद होने के समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी, उसे उसी स्थिति में बंद करें ।

———————————————

अध्याय–10

मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति (अभ्याक्षेप)

1. मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से संबंधित मतदाता सूची की प्रविष्टियॉ पढ़ने के बाद कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता उस मतदाता की ''पहचान'' के बाबत् आपत्ति कर सकता है। अतः मतदान अधिकारी क्रमांक–1 को प्रविष्टियों पढ़ने के बाद कुछ क्षण रूक जाना चाहिए और इस दौरान आपत्ति न उठाए जाने पर ही मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करते हुए उसकी बांए हाथ की तर्जनी पर स्याही का निशान लगाना चाहिए। अमिट स्याही का निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार न किया जाए। यदि ऐसा करने से पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाए तो आपको चाहिए कि आप मामले को आगे कार्यवाही हेतु अपने पास ले लें और मतदान अधिकरी क्रमांक–1 को अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्यवाही जारी रखने को कहें।

2. किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) पर तभी विचार किया जायेगा जब कि आपत्तिकर्ता ऐसी आपत्ति के लिए पीठासीन अधिकारी के पास पहले नगद पांच रूपये की धनराशि जमा करे। ऐसी जमा राशि के लिए **परिशिष्ट–पन्द्रह** के अनुसार रसीद दी जाए।

3. राशि जमा कर दिए जाने पर आपत्ति (अभ्याक्षेप) के संबंध में आपके द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः–

(क) जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, उसे प्रतिरूपण करने के लिए (अर्थात जो वह नहीं है वह बताने के लिए) यह चेतावनी दें कि ऐसा कृत्य धारा 171–एफ भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

(ख) मतदाता सूची की प्रविष्टियों को पूरी तरह पढ़कर सुनाएं और उस व्यक्ति से यह पूछें कि क्या वह वही व्यक्ति है? यदि वह हां कहे तो उसका नाम और पता ''अभ्याक्षेपित मतों की सूची'' **परिशिष्ट–सोलह** (प्ररूप–12) में दर्ज करें तथा उसे, उसमें अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने को कहें।

(ग) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् आप आपत्ति (अभ्याक्षेप) के संबंध में निम्नानुसार संक्षिप्त जांच करेंः–

(1) आपत्तिकर्ता को आपत्ति के प्रमाण में अर्थात् जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, उसके वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहें।

(2) जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति उठाई गई है उससे वही व्यक्ति होने के बारे में तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहें। इस हेतु उससे आवश्यक प्रश्न पूछें जैसे कि ग्राम में वह कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ौसी कौन हैं, उसकी कितनी जमीन है, ग्राम के प्रमुख व्यक्ति कौन–कौन हैं, आदि।

(3) पक्ष–विपक्ष में साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध/उपस्थित अन्य किसी व्यक्ति से भी आप पूछताछ कर सकते है।

(4) उपर्युक्त पूछताछ आप शपथ पर बयान लेकर कर सकते है।

(5) जांच के बाद यदि आप उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) को सही होना पाएं तो संबंधित व्यक्ति को मतपत्र न दें और आपत्तिकर्ता को, उसके द्वारा जमा की गई राशि लौटा दें। साथ ही आप स्थानीय थाने के थाना प्रभारी को **परिशिष्ट–सत्रह**

में एक रिपोर्ट, प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए (मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस/सुरक्षाकर्मी के मार्फत) भेजें और प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को उसके सुपुर्द कर दें। प्रतिरूपण की घटनाओं का उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में यथास्थान विवरण सहित अंकित करें।

(6) जांच करने के बाद यदि आप उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) को सिद्ध होना न पाएं तो संबंधित व्यक्ति को मतदान के लिए अनुमति देते हुए, उसी तरह मतपत्र दें जैसे किसी अन्य मतदाता को दिया जाता हैं साथ ही आप आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि शासन के पक्ष में जप्त करने के आदेश दें।

———————————

अध्याय–11

निविदत्त मतपत्र

1. यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करें तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो आप उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछें जिससे आपको संतुष्टि हो जाए कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। परन्तु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा. अतः उसे आप मतपत्र जारी करवाएं परन्तु उसके मतपत्र को मतांकन के बाद मतपेटी में न डलवायें। ऐसा मतपत्र जिसे ''निविदत्त मतपत्र'' (टेन्डर्ड बैलेट पेपर)कहा जाता हैं, अपनी सुपुर्दगी में ले लें। ऐसे मतपत्रों को आप इस प्रयोजन के लिए अलग से दिये गए लिफाफों में पदवार अलग–अलग रखें। मतदान की समाप्ति पर निविदत्त मतपत्रों के लिफाफों को जो क्रमशः पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य से संबंधित होंगे, सीलबंद कर दें।

2. निविदत्त मतपत्र, मतपत्रों की आखरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाए। लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वांछनीय है। जिस व्यक्ति को निविदत्त मतपत्र दें उससे निविदत्त मतपत्रों की सूची परिशिष्ट–अठारह (प्ररूप–14) में संगत प्रविष्टि के सामने उसके हस्ताक्षर लें या अंगूठे का निशान लगवाएं।

3. निविदत्त मतपत्रों के अनुक्रमांक तथा संख्या मतपत्र लेखा (परिशिष्ट–उन्नीस) की मद 4(ख) में भी अंकित किए जाएंगे। यदि कोई निविदत्त मतपत्र जारी नहीं किया गया है तो यह प्रविश्टि निरंक रहेंगी।

अध्याय–12

मतदान केन्द्र पर एवं उसके आसपास व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान

मतदान केन्द्र के भीतर अथवा उसके आस–पास होने वाली किसी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था से निपटने में दृढ़ता, निष्पक्षता तथा कनूनी प्रावधानों का ज्ञान आपके बड़े काम आएगा। सभी अभ्यर्थियों से एक सा व्यवहार करें तथा प्रत्येक विवादास्पद मामले को, विधि के प्रावधानों के प्ररिप्रेक्ष्य में निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण ढंग से निपटायें। छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में मतदान केन्द्र के भीतर तथा आस–पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रावधान है, उनके अंतर्गत आपको पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। साथ ही, आपके तथा आपके सहयोगी मतदान अधिकारियों के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी है। इस अधिनियम के कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण परिशिष्ट–पांच में हैं। इनका सावधानी से अध्ययन करें। सरल शब्दों में ये प्रावधान निम्नांकित हैः–

(1) निर्वाचन कार्य से संबंधित कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण का उल्लघनः

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा कोई पदाधिकारी या कर्मचारी (अपना मत देने के अतिरिक्त) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी अभ्यर्थी की चुनाव संभावना को पक्ष या विपक्ष में प्रभावित करे। ऐसा करने पर छः माह तक की सजा का प्रावधान है।

(2) निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का पालन तथा मतदान की गोपनीयता बनाये रखनाः

धारा 13 के अनुसार यदि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा कोई पदाधिकरी या कर्मचारी निर्वाचन से संबंधित किसी शासकीय कर्तव्य का उल्लंघन करता है अथवा धारा 14 के अनुसार यदि मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो क्रमशः रूपये 500/– के जुर्माने एवं तीन माह तक के कारावास एवं या जुर्माना के दण्ड से दण्डित होने का पात्र होगा।

(3) मतदान केन्द्र के पास प्रचार पर रोकः

अधिनियम की धारा 6 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि मतदान के दिनांक को मतदान केन्द्र के अन्दर एवं मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी मार्ग, सड़क गली या खुले स्थान में चुनाव प्रचार करना अपराध है तथा ऐसा करने वाले को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।

(4) अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव कैम्प लगाये जाने पर प्रतिबंधः

अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ता और उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर चुनाव कैम्प नहीं लगा सकते, क्योकि ऐसे चुनाव कैम्पों से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना रहती है। अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर मतों के लिए याचना (केनवासिंग) निषिद्ध है और यदि इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो आप इसकी सूचना कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों को दें।

(5) गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों को हटाया जानाः

यदि किसी मतदान केन्द्र के समीप या उसके अन्दर किसी व्यक्ति द्वारा असंयत आचरण कर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाय तो आप ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से हटाये जाने या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी को अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निर्देशित कर सकते है। इन अधिकारों का उपयोग सामान्यतया तभी किया जाना चाहिए जब समझाने या चेतावनी देने का असर न हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है इसके लिए विधि में सीमा नियत नहीं है। इस बात का निर्णय आपको करना है कि क्या ध्वनि विस्तारक यंत्र से मतदान की कार्यवाही में व्यवधान हो रहा है या नहीं।

(6) केन्द्र के अन्दर निर्देशों की अवज्ञा करनाः

मतदान केन्द्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति आपके विधि संगत निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है एवं किसी भी प्रकार की अवज्ञा पर प्रतिषेध है। अवज्ञा करने पर अधिनियम धारा 8 के अनुसार आप ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से हटा सकते है और यदि वह पुनः प्रवेश करे तो गिरफ्तार करवा सकते है।

(7) मतदान केन्द्र से मतपत्रों को अन्यत्र ले जानाः

अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत मतदान केन्द्र से मतपत्र को कपटपूर्वक बाहर ले जाना या बाहर ले जाने का प्रयत्न करना या ऐसे कृत्य को करने की जानबूझकर दुष्प्रेरणा करना प्रतिषिद्ध है। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही के लिए आप तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकते है। यदि आपको विश्वास है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है या कर चुका है तो मतदान केन्द्र से बाहर जाने से पूर्व उसे गिरफ्तार करने के लिए भी किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति की तलाशी भी करा सकते हैं किन्तु यह ध्यान रखें कि जब किसी स्त्री की तलाशी लेना आवश्यक हो तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा ही, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, कराई जाए।

(8) मतदान केन्द्र पर लगी हुई किसी सूचना को नष्ट करना या बिगाड़ना आदि :

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर लगी हुई किसी सूचना या सूची को नष्ट या विरूपित करे या अवैध रूप से किसी को मतपत्र दे या मतपत्र प्राप्त करे, मतपेटी में मतपत्र से भिन्न कोई वस्तु डाले या मतपेटी को नष्ट करे या बिना प्राधिकार खोले एवं ऊपर अंकित कृत्यों में से किसी भी कृत्य को करने का प्रयास भी करे तो वह निर्वाचन से सम्बद्ध कर्मचारी होने पर दो वर्ष तक के कारावास और अन्य व्यक्ति होने पर पांच माह तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है। आपके ज्ञान में यदि कोई ऐसा प्रकरण आता है तो आप पूरे तथ्यों के साथ उसकी रिपोर्ट तत्काल स्थानीय पुलिस स्टेशन आफिसर (थाना प्रभारी) को करें।

(9) बूथ का बलात् ग्रहण :

अधिनियम की धारा 14–घ के अनुसार बूथ (अर्थात मतदान केन्द्र) के बलात् ग्रहण के लिए 2 वर्ष तक की सजा (परन्तु किसी भी दशा में 6 माह से कम की नहीं) और जुर्माने का दण्ड दिये जाने का प्रावधान है। बूथ के बलात् ग्रहण से आशय है मतदान केन्द्र पर बलात् कब्जा करना, मतपत्र छीनना या उन्हें समर्पित करने के लिए केन्द्र पर तैनात कर्मचारियों को बाध्य करना, केवल अपने समर्थकों से मतदान कराना तथा अन्य लोगों को मतदान में भाग लेने से रोकना, मतदाताओं को डराना–धमकाना तथा मतदान केन्द्र में जाने से मना करना तथा सरकार की सेवा में नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कृत्य में किसी तरह की सहायता या मौन अनुमति दिया जाना। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सहायता से इस प्रकार का अपराध घटित होता है तो उस सरकारी कर्मचारी के लिए

सजा 3 वर्ष के कारावास (परन्तु किसी भी हालत में एक वर्ष से कम नहीं) तथा जुर्माने का प्रावधान है। यदि आपके मतदान केन्द्र में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप तत्काल पूरे तथ्यों के साथ उसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन आफिसर को करें।

2. मतदान के दौरान संभावित उपरोक्त अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दण्ड विधान (आई.पी. सी.) की धारा 171–एफ के अंतर्गत भी ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी दूसरे मतदाता के नाम का उपयोग कर मताधिकार का प्रयोग करे या करने का प्रयास करे। ऐसी शंका होने पर आप संबंधित व्यक्ति को तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन आफिसर को सौंप सकते हैं।

3. आप यह ध्यान रखें कि आपकी मुख्य जिम्मेदारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्थित ढंग से मतदान तथा मतगणना का संचालन करना है। मतदान केन्द्र से बाहर होने वाली घटनाओं या उनके बारे में की जाने वाली शिकायतों की जांच में आपको उलझने की जरूरत नहीं हैं। ऐसी शिकायतों का निराकरण आपसे अपेक्षित नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आपको की जाए तो आप शिकायतकर्ता को संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की समझाइश दें।

4. उपरोक्त प्रावधानों से, और विशेष तौर पर क्रमांक (1), (2), (7), (8) तथा (9) से, आप मतदान केन्द में पदस्थ अपने सहयोगी कर्मचारियों को अवगत करा दें।

———————————

अध्याय–13

आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाहीः मतदान स्थगित करना

1. यद्यपि मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो इसके लिए सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है, फिर भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है, जिसमें कि मतदान की कार्यवाही जारी रखना संभव न हो। मतदान केन्द्र पर खुली हिंसा, बलवे आदि के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि आग, तेज आंधी, बारिश आदि के कारण मतदान की कार्यवाही में व्यवधान हो सकता है।

2. यदि बलवा या हिंसा हो जाये अथवा होने की संभावना हो तो सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों को स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए कहें। यदि प्रयास के बाद भी तनाव या अव्यवस्था की ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए जिसमें मतदान आगे जारी रखना संभव न हो तो आपको मतदान रोक देना चाहिए और इस आशय की औपचारिक घोषणा सभी उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी यदि मतदान चालू रखना संभव प्रतीत न हो तो मतदान बंद कर देना चाहिए और उपरोक्तानुसार ही उसकी भी औपचारिक घोषणा करनी चाहिए। मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता।

3. मतदान स्थगित करने पर तत्काल निम्नांकित कार्यवाही करें:–

(1) रिर्टर्निंग आफिसर (पंचायत) का मामले के पूरे विवरण के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें। इस रिपोर्ट में न केवल घटना के तथ्यों/परिस्थितियों का सुस्पष्ट वर्णन करें बल्कि आपके एवं मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी भी दें।

(2) मतपेटी को (जिसमें कि मतदान रोकने के समय मत डाले जा रहे थे) ठीक उसी प्रकार सील कर दें जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व की मतपत्रों के साथ (यदि कोई हो तो) सुरक्षित रख दें। वस्तुतः आपको मतपत्र लेखा तैयार करने, अन्य पैकेट सीलबंद करने तथा मतपेटियों, पैकेटों आदि को रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) की ओर प्रेषित करने की कार्यवाहियां, यथासाध्य, ठीक उसी प्रकार करनी होगी जैसी कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के उपरान्त की जाती हैं।

(3) मतदान स्थगित करने की औपचारिक सूचना, परिशिष्ट–बीस में दो प्रतियों में तैयार की जाए। एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यार्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर उसे अपने अभिलेख में रख लें तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करें।

4. मतदान स्थगित करने के संबंध में आपको दिये गये विशेषाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाए जबकि मतदान चालू रखना वस्तुतः असंभव हो जाए।

5. पुर्नमतदान की कार्यवाहीः

उपरोक्तानुसार स्थगित किया गया मतदान जब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पुनः प्रारंभ किया जावे तो आपको रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति (अर्थात मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास वाली सूची) का सीलबंद लिफाफा पुनः दिया जाएगा। साथ में रिटर्निंग आफिसर द्वारा आपको एक नई मतपेटी तथा अन्य आवश्यक सामग्री दी जाएगी। मतदान पुनः प्रारंभ करने के पूर्व तत्समय

उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष आप मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति का सीलबंद लिफाफा खोलें और उसके आधार पर आगे मतदान कराएं। उन मतदाताओं को जिन्होंने मतदान स्थगित किए जाने के पहले मतदान कर दिया था, फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कराए गए पुनर्मतदान के मामले में, मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां ठीक उसी प्रकार से की जाएंगी जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में कराए जाने वाले मतदान के लिए की जाती है।

6. मतदान विकृत हो जाने की स्थिति में कार्यवाहीः

(1) मतदान केन्द्र पर बलवा, हिंसा, उपद्रव या बलपूर्वक कब्जा किये जाने (बूथ कैप्चररिंग) की स्थिति में यदि उपद्रवी तथ्वों द्वारा उपयोग में लाई गई मतपेटी को नष्ट करने, फैंक देने या उनकी सील तोड़ देने या उसे आपके नियंत्रण से छीनकर बाहर ले जाने का कृत्य किया जाए या कोरे मतपत्र छीनकर उन पर मोहर लगाकर मतपेटी में डाल दिये जाए या मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति फाड़ दी जाए तो आपके मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित करना संभव नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि मतदान केन्द्र में आपके दल के किसी सदस्य की गम्भीर असावधानी के कारण प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी गलती या अनियमितता हो जावे जिससे कि मतदान दूषित हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में आपको चाहिए कि आप मतदान स्थगित कर दें और तुरन्त, संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए, एक प्रतिवेदन रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को भेजें।

इस प्रकार स्थगित किये गये मतदान के बारे में कंडिका–3 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार मतदान स्थगन की घोषणा करें तथा उसकी सूचना **परिशिष्ट–बीस** में दो प्रतियों में तैयार करें। एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर अपने पास रखें तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करें।

(2) उपर्युक्त परिस्थितियों में स्थगित किया गया मतदान सामान्यतया निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् नए सिरे से कराया जायेगा और इसके लिए आपको रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा समस्त सामग्री पुनः उपलब्ध कराई जायेगी।

———————————

अध्याय–14

मतदान की समाप्ति के बाद की कार्यवाहियां

मतपेटी बन्द/सीलबन्द करनाः

मतदान की समाप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम आप उपयोग में लाई जा रही मतपेटी की दरार (स्लेट) को, जिसमें से मतपत्र अन्दर डाले जाते हैं, मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बन्द कर दें। यदि मतगणना मतदान केन्द्र पर न की जाकर खण्ड या तहसील मुख्यालय पर की जाना हो तो उपयोग में लाई गई मतपेटी/पेटियों को सील भी करें। मतपेटी को सील करने के लिये उसके टाईप के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करें। निर्धारित प्रक्रिया का वर्णन परिशिष्ट–दस में है। यदि कोई अभिकर्ता या उसका मतदान अभिकर्ता मतदान पेटी पर आपकी सील लग जाने के बाद, पृथकशः अपनी सील भी लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दें।

मतपेटी बन्द/ सील करने के पश्चात् निम्नांकित कार्यवाही करें:–

1. मतपत्र लेखा तैयार करनाः

(1) मतपत्र लेखा एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है जिससे यह ज्ञात होता है कि पीठासीन अधिकारी को दिये गये मतपत्रों में से कितने मतपत्रों का मतदान में उपयोग हुआ, कितने बचे रहे और मतपेटी में कितने मतपत्र होने चाहिए?

मतपत्र लेखा, प्ररूप–15 के भाग–1 में तैयार किया जाएगा, जो कि **परिशिष्ट–उन्नीस** में उद्घृत है। (मतपत्र लेखा का भाग–2 मतगणना के समय भरा जायगा, उसके पूर्व नहीं।) जितने भी स्थानों (सीटों) के लिये मतदान हुआ हो, (यथा विभिन्न वार्डों के पंचों, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य), उन सब के लिये अलग–अलग मतपत्र लेखा तैयार किये जायेंगे। तद्नुसार ही आपको मतदान सामग्री के साथ, मतपत्र लेखा के प्ररूप आवश्यक संख्या में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बात को दोहराना असंगत न होगा कि प्रत्येक वार्ड के पंच के लिए अलग–अलग मतपत्र लेखा तैयार किया जाएगा, क्योंकि हर वार्ड अपने आप में एक स्वतंत्र 'निर्वाचन–क्षेत्र' हैं।

(2) मतपत्र लेखा तैयार करने में निम्नांकित अनुदेशों का पालन किया जाए:–

(i) मतपत्र लेखा (प्ररूप–15 भाग–1) की प्रारंभिक पंक्ति में उस स्थान (सीट) का विवरण अंकित करें जिससे उसका संबंध है। उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत के किसी वार्ड के पंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम तथा वार्ड का क्रमांक दर्ज करें। सरपंच के मामले में केवल ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करें और जनपद/जिला पंचायत सदस्य के मामले में संबंधित जनपद पंचायत/जिला पंचायत का नाम तथा सुसंगत निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरें। इन्हें भरने के पश्चात् अन्य प्रविष्टियां दर्ज करें।

(ii) सरल क्रमांक–1 में आपको प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखें।''अनुक्रमांक'' के कालम में आप 50–50 या 20–20 की गड्डियों (जैसी भी स्थिति हो) में प्राप्त मतपत्रों के प्रथम व अंतिम अनुक्रमांक लिखते हुए सामने कुल संख्या लिख दें। फिर सभी का योग ''कुल संख्या'' के कालम में नीचे लिखें दें।

(iii) सरल क्रमांक–2 में उपयोग में न लाए गये मतपत्रों की संख्या लिखी जानी है। यहां आप उन मतपत्रों की संख्या लिखें जो मतदान समाप्ति के बाद आपके पास शेष रह गए है, चाहे उनके

पृष्ठ भाग पर सुभेदक मोहर लगी हो या नही और चाहे उन पर आपने हस्ताक्षर किए हों या नहीं। यह विवरण भी दो या तीन लाइनों में शेष रहे मतपत्रों के अनुक्रमांक (प्रथम व अंतिम) दर्शाते हुए तथा सामने संख्या लिखते हुए अंत में कुल संख्या के कालम में मतपत्रों की संख्या का योग लिखकर पूर्ण करें।

(iv) सरल क्रमांक–3 में आपको अनुक्रमांक के नीचे कुछ नहीं लिखना है तथा कुल संख्या के नीचे सरल क्रमांक–1 और 2 की कुल संख्या का अंतर लिखना है।

(v) सरल क्रमांक–4 में आपको उन मतपत्रों का हिसाब देना है जो कि प्रयोग में तो लाए गए हैं (अर्थात् सरल क्रमांक–3 में सम्मिलित है) परन्तु मतदाताओं द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए है। इसके भाग (क) में मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या तथा भाग (ख) में निविदित्त मतपत्रों की संख्या लिखें। भाग (ग) में उन मतपत्रों की संख्या लिखें जो कि उपरोक्त दो कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से रद्द किए गए है, जैसे कि मतदाता की असावधानी के कारण रद्द किए गये मतपत्र, मतपत्र प्राप्त करने के बाद, मत न डालने का निश्चय करने वाले मतदाताओं द्वारा लौटा दिए जाने के कारण रद्द किए गए मतपत्र तथा जारी होने के बाद मतपेटी में न डाले गये और मतदान केन्द्र में या उसके निकट में पाए गए मतपत्र।

(vi) सरल क्रमांक–5 में ''कुल संख्या के नीचे सरल क्रमांक–3 और 4 अंतर लिखा जाए।

(3) उदाहरण.— यदि किसी ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक–2 से पंच के निर्वाचन के लिए आपको 50 मतपत्रों की एक गड्डी और 20–20 मतपत्रों की दो गड्डियां, अर्थात कुल 90 मतपत्र दिए गए हैं, तो सरल क्रमांक–1 में आप निम्नानुसार प्रविष्टि करेंगे :–

(1)	पीठासीन आधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या.	000551 से 000600	50
		000841 से 000860	20
		000961 से 000980	20
		योग..	90

मान लें, मतदान समाप्ति के पश्चात आपके पास 31 मतपत्र शेष रहते हैं। आप इन मतपत्रों के अनुक्रमांकों को देख लें। उनके अनुसार सरल क्रमांक–2 में उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की प्रविष्टि निम्नानुसार की जाएगीः–

(2)	उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या.	000591 से 000600	10
		000859 से 000860	02
		000961 से 000979	19
		योग..	31

अब सरल क्रमांक–3 में प्रविष्टि निम्नानुसार होगीः–

(3) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या 90–31=59 (1–2=3)

सरल क्रमांक–4 में उन मतपत्रों का उल्लेख किया जाएगा जो मतदान केन्द्र में उपयोग में तो लाए गए, परन्तु जिन्हें मतपेटी में नहीं डाला गया। मान लीजिए कि मतपत्र क्रमांक 000561 लेखन की त्रुटि के कारण तथा क्रमांक 000572 मतदाता द्वारा लौटा दिए जाने के कारण, रद्द किए गए हैं और मतपत्र क्रमांक 000980 (अंतिम मतपत्र) ''निविदत्त'' है। तब सरल क्रमांक–4 में प्रविष्टियां निम्नानुसार भरी जाएंगी :–

(4) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये गये, किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रों की संख्याः–

(क)	मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या	000561	–	01
(ख)	निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या.	000980	–	01
(ग)	रद्द किए मतपत्रों की संख्या	000572	–	01
		योग (क+ख+ग)...		03

अतः सरल क्रमांक–5 में प्रविष्टि निम्नानुसार होंगी–

(5) मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या – (59–03)=56

(3–4=5)

(4) प्रत्येक स्थान (सीट) से संबंधित मतपत्र–लेखा अलग–अलग लिफाफे (क्रमांक–7) में रखें। यदि मतगणना, मतदान केन्द्र पर ही की जाने वाली हो तो इन लिफाफों को अभी बन्द न करें, क्योंकि मतगणना के समय, ''मतपत्र लेखा'' के भाग–2 में प्रारम्भिक मतगणना की प्रविष्टियां की जाना होंगीं। कदाचित, यदि मतगणना खण्ड या तहसील मुख्यालय पर की जानी हो तो, लिफाफे बन्द कर दें।

2. परिनियत लिफाफों को सील बन्द करना :

परिनियत लिफाफों में निम्नांकित 5 लिफाफे शामिल हैं और इनके महत्व को देखते हुए इन्हें सबसे पहिले सील बंद किया जाए :–

(1) मतदाता सूची की चिन्हित प्रतिः–मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (अर्थात् मतदान अधिकारी क्रमांक–1 द्वारा प्रयोग में लाई गई मतदाता सूची, जिसमें मतदान कर चुकने वाले मतदाताओं के नाम रेखांकित एवं सही (√) के निशान से चिन्हित किये गये हैं), को निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–1) में रखकर सीलबंद किया जाए।

(2) रद्द किये गये मतपत्रः–ऐसे मतपत्रों को जिन्हें रद्द किया गया है तथा जिनका उल्लेख संबंधित मतपत्र लेखा में किया गया है, इस हेतु निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–2) में रखकर उसे सीलबंद किया जाए।

(3) निविदत्त मतपत्र और उनकी सूचीः—मतदान के दौरान जो निविदत्त मतपत्र इस हेतु निर्धारित लिफाफे (क्रमांक—3) में रखे गये थे उन्हें, अब उनसे संबंधित सूची को इस लिफाफे में रखते हुए, सीलबंद कर दिया जाए।

(4) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णः— पंचों के मामले में वार्डवार उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णों को एक साथ, इस हेतु प्रदत्त लिफाफे (क्रमांक—4) में सीलबंद किया जाए। इसी प्रकार सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी अलग—अलग लिफाफों (क्रमांक—4) में रखते हुए उन्हें सीलबन्द किया जाए।

(5) मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्रः—पंचों के मामले में वार्डवार ऐसे सभी मतपत्रों को जिनका उपयोग नहीं हुआ है एवं जिनकी संख्या संबंधित मतपत्र लेखा में दर्शाई गई है, एक साथ इस हेतु निर्धारित लिफाफे (क्रमांक—5) में रखा जाए एवं लिफाफे को सीलबंद किया जाए। इसी प्रकार सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित बचे हुए मतपत्रों को भी (जिनका विवरण मतपत्र लेखा में दर्ज है), अलग—अलग लिफाफों (क्रमांक—5) में रखा जाए और उन्हें सीलबंद किया जाए।

उपरोक्त सभी परिनियत लिफाफों को सीलबंद करने के पूर्व गोंद या लेई से अच्छी तरह चिपकाकर बंद कर दिया जाए।

इन लिफाफों पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता भी अपनी सील लगाना चाहे, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

3. परिनियत लिफाफों को एक साथ लपेटकर सीलबंद करनाः—

उपर्युक्त सभी परिनियत लिफाफों को इस हेतु प्रदत्त बड़ी शीट (क्रमांक—1) में लपेटें और शीट को किनारों पर चिपकाकर सुतली से चारों ओर लपेटकर सील करें।

4. अन्य कागज—पत्रों का बन्द करनाः

मतदान से संबंधित निम्नांकित विविध कागज— पत्रों को अलग—अलग लिफाफों में रखते हुए उन्हें बन्द करें:—

(1) अभ्याक्षेपित मतो की सूची,

(2) प्रतिरूपण के मामले में पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि,

(3) मतदाता सूची की अन्य प्रतियां,

(4) मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति—पत्र और उनके द्वारा की गई घोषणाएं,

(5) अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं के साथियों द्वारा की गई घोषणाएं.(प्ररूप—13क),

(6) अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची (प्ररूप—13ख) तथा

(7) अन्य विविध कागजात, उनकी सूची के साथ.

उपरोक्त सब लिफाफों को एक बड़े आकार के विविध लिफाफे (क्रमांक—9) में रखें और उसे बन्द कर दें। इस लिफाफे को सील करने की आवश्यकता नहीं है।

5. गलत अभ्याक्षेप के लिए जप्त की गई राशिः

किसी मतदाता की पहचान को गलत चुनौती देने के कारण जप्त की गई राशि तथा उससे संबंधित रसीदों की प्रतिलिपियां एक पृथक लिफाफे में डालकर उसे संभालकर रखें। इसे बाद में निर्वाचन संचालन केन्द्र में काउन्टर क्रमांक–2 पर जमा कराया जाना होगा।

6. पीठासीन अधिकारी की डायरी (भाग–1) लिखनाः

उपरोक्त कार्यवाही यथाशक्य शीघ्रता से पूरा करने के उपरान्त, पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट–इक्कीस) का भाग–1 लिखें। डायरी लिखने के संबंध में अनुदेश अगले अध्याय (क्रमांक–15) में दिए गये है। यदि मतगणना, मतदान केन्द्र में न की जानी हो तो डायरी को लिफाफे (क्रमांक–8) में रखकर उसे बन्द कर दें, अन्यथा, अभी बन्द न करें। (डायरी वाले लिफाफे में सील लगाने की आवश्यकता नहीं है।)

7. खण्ड/तहसील मुख्यालय पर कराए जाने वाली मतगणना हेतु मतपेटियों को कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील किया जानाः

यदि मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर खण्ड या तहसील मुख्यालय में कराई जानी है तो यह आवश्यक होगा कि उपयोग में लाई गई तथा मतपत्रों से भरी मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/थैलियों में रखकर बन्द कर दिया जावे। थैली में लगी डोरी को खींचकर उपरी हिस्से में गठान लगाकर कस दें और उसे 2–3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठे लगा दें। डोरी की गांठों पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छूटी हुई अपनी सील लगा दें। जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा सकते हैं। थैली के ऊपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रेस टैग) अच्छी तरह बांध दें ।

टिप्पणी– मतदान की समाप्ति के बाद सील बन्द मतपेटी को जिस कपड़े की थैली में रखा जाए उस पर स्याही से या रबर स्टाम्प से या अन्यथा कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि कपड़े की थैलियां खराब न हों और भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयुक्त न हो जाएं। यदि कुछ लिखना अपरिहार्य हो तो वह पते की चिट पर लिखा जाए।

———————————

अध्याय–15

पीठासीन अधिकारी की डायरी

पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदान तथा मतगणना से संबंधित तथ्यों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी के एक स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डायरी, **परिशिष्ट–इक्कीस** में दिये गये प्ररूप में लिखी जायेगी, जो कि आपको मतदान सामग्री के साथ दिया जाएगा। डायरी का भाग–एक मतदान की समाप्ति के पश्चात् लिखा जायेगा और भाग–दो, मतगणना संपन्न होने के बाद। यदि आपके केन्द्र से संबंधित मतगणना, खण्ड या तहसील मुख्यालय पर आयोजित हो तो डायरी का भाग–दो लिखने के लिए, वह आपको (या आपके स्थान पर नियुक्त मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी को) पुनः उपलब्ध कराई जायेगी।

डायरी लिखने के लिए मतदान समाप्त होने की प्रतीक्षा न करें। कुछ जानकारी ऐसी है जो घटनाओं के साथ ही अंकित की जा सकती है और कुछ जानकारी (विशेष तौर पर सांख्यिकी स्वरूप की जानकारी), जैसे कि मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता और उनमें पुरूष और महिलाओं की संख्या आदि, मतदान के दौरान कभी भी लिखी जा सकती है।

2. डायरी में समाविष्ट निम्नांकित प्रविष्टियों को भरने में उनके समक्ष अंकित बातों का ध्यान रखें:–

भाग–एक

(1) कॉलमः–7.–मतपेटी पर उत्कीर्ण क्रमांक से अभिप्राय उस क्रमांक या नंबर से है जो मतपेटी पर, उसकी पहचान स्थापित करने के लिए, अक्षर/अंकों में उत्कीर्ण है। इसे सावधानी से देखें और जैसा क्रमांक उत्कीर्ण है, उसको वैसा ही लिखें।

(2) कॉलमः–9.–इस कॉलम में उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं की कुल संख्या दर्शायी जानी है, नामों का उल्लेख नहीं किया जाना है।

(3) कॉलमः–14.– यदि किसी कारण से मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो इस कॉलम में उसका उल्लेख कर देना भर पर्याप्त नहीं है। आपको ऐसी घटना संबंध में पृथकशः एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उसे डायरी के साथ संलग्न करना चाहिए।

(4) कॉलमः–16.– इस कॉलम में आपको मतदान केन्द्र पर घटी प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना जैसे कि झगड़ा या मारपीट, निर्वाचन अपराध, पर्यवेक्षक का आगमन आदि का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिए।

भाग–दो

(1) कॉलमः–2.– इस कॉलम में केवल उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं की संख्या दर्शायी जानी है। नामों का उल्लेख नहीं किया जाना है।

(2) कॉलमः–6.– पुनर्मतगणना की मांग करने वाले प्रकरणों की संख्या के अंतर्गत मौखिक आग्रह वाले प्रकरणों को नजर अंदाज करें और केवल ऐसे प्रकरणों का उल्लेख करें जिनमें अभ्यर्थियों द्वारा या उनकी ओर से लिखित में आवेदन पत्र दिये जाएं।

(3) कॉलमः–7.–प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों के प्रतिशत से आशय डाले गये कुल मतों में से प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों के प्रतिशत से है।

3. डायरी लिखने के पश्चात् उसे निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–8) में रखें और लिफाफा बन्द कर दें।

———————————

अध्याय–16

मतगणना

1. मतगणना कार्य निर्चाचन प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील भाग है। मतगणना में अनियमितता या असावधानी से सारे निर्वाचन का परिणाम विकृत हो सकता है। पंचायत चुनावों में, मतगणना में विशेष सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत सीमित होने के कारण अभ्यर्थियों के बीच हार जीत का अन्तर बहुत कम मतों का रहता है ।

2.मतगणना की तारीख, स्थान व समय की सूचनाः

मतगणना सामान्यतया मतदान की समाप्ति के तत्काल पश्चात् मतगणना केन्द्र पर ही की जाएगी। इसका अपवाद केवल वे मतदान केन्द्र होंगे जहां हिंसा या गड़बड़ी की आशंका के कारण मतगणना खण्ड या तहसील मुख्यालय पर कराने का पहले ही निर्णय ले लिया गया हो। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 73 से 80 में, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को उसके मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की गणना आदि करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

3. (1) यदि किसी मतदान केन्द्र के मामले में पूर्व में यह निर्णय लिया गया हो कि मतगणना वहीं पर की जाएगी परन्तु मतदान के दिन वहां पर किसी अप्रत्याशित घटना के कारण तनाव व्याप्त हो जाए और आपको ऐसा प्रतीत हो कि मतगणना में हिंसा या गड़बड़ी हो सकती है, जिसे उपलब्ध सुरक्षा कर्मी रोक नहीं पाएंगे, तो आप मतगणना स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में मतगणना, (मतदान के) अगले दिन खण्ड या तहसील मुख्यालय में अपरान्ह 3.00 बजे प्रारंभ की जाएगी।

किसी अप्रत्याशित स्थिति में केन्द्र पर मतगणना स्थगित किये जाने पर, मतगणना के परिवर्तित स्थान और समय की सूचना मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को दी जाए। इस निमित्त परिशिष्ट–बीस में ''सूचना'' की एक प्रति केन्द्र पर आम जानकारी के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करें और दूसरी प्रति पर, उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लेकर उसे अपने अभिलेख में रखें ।

(2) यह ध्यान रखें कि मतगणना का समय नियम 28 के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना में पहले से ही अधिसूचित है। अतः आपको यथाशक्य यह प्रयास करना चाहिए कि मतगणना समय पर प्रारंभ हो जाए। विलम्ब होने से गणना देर तक चलेगी और उससे आपको काफी असुविधा हो सकती है ।

4. मतगणना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएंः

(1) बैठने की व्यवस्था– मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए केन्द्र पर बैठक व्यवस्था को पुनः जमा लें। उपलब्ध मेजों को मिलाकर, एक बड़ी मेज बना लें। मेज के मुख्य किनारे पर, आप बैठें तथा अपने दाई और बाई ओर के किनारों पर, गणना सहायकों (मतदान अधिकारियों) को बैठाएं । आपके सामने, मेज से कुछ फासले पर, अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था करें। यदि मतदान केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में मेजें उपलब्ध न हों तो, बैठने की व्यवस्था फर्श पर, दरी या चादर बिछाकर की जाए।

(2) मतगणना के लिए आवश्यक सामग्री को निकालकर अपनी मेज के पास रख लें।

5. मतगणना कक्ष में उपस्थित रह सकने वाले व्यक्तिः

(1) निर्वाचन नियम 74 के अनुसार मतगणना कक्ष में केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में निम्नांकित व्यक्ति हो सकते हैं :–

(क) जिन्हें मतगणना करने में रिटर्निंग आफिसर/प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है,

(ख) आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक, और

(घ) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता यदि गणना कक्ष में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो तो फिर उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

(2) मतगणना दक्षतापूर्वक और शांति एवं सुरक्षा के वातावरण में सम्पन्न करने के लिए यह वांछनीय है कि कक्ष में उपरोक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी को भी प्रवेश न दिए जाए। केन्द्र पर पदस्थ सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि वे उपरोक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी को अन्दर न आने दें। गणन अभिकर्ता को नियुक्ति अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्ररूप–11 में, जो कि परिशिष्ट–बाईस में उद्धत है, की जाएगी। वह इसकी एक प्रति आपको प्रस्तुत करेगा। इसके घोषणा वाले भाग पर आप, गणन अभिकर्ता से, अपने सामने हस्ताक्षर कराएं और उसे सत्यापित करें। ऐसा करने के उपरान्त ही गणन अभिकर्ता, गणना कक्ष में उपस्थित रहने का अधिकारी होगा।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति को जो मतगणना के दौरान आपके विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करें, गणना कक्ष से बाहर भेज दिया जाए।

(4) कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों को बार–बार अन्दर–बाहर आने जाने से मना करें।

(5) कक्ष में धूम्रपान पूरी तरह निषिद्ध किया जाए।

6. गणना के पूर्व मतपेटियों का निरीक्षणः

मतगणना के लिए मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों को एक के बाद एक खोला जाए। मतपेटियां खोलने के पहले उन्हें, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को देखने का अवसर दिया जाए, ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि किसी मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मतदान की समाप्ति पर मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना में, मतपेटी के साथ छेड़छाड़ की संभावना बहुत कम हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ की गई है तो आप मतगणना न करें और रिटर्निंग आफिसर को भेजने के लिए, मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार करें। ऐसी स्थिति में संदिग्ध मतपेटी को सुतली से बांधकर, सील कर दें और अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ताओं को भी उस पर अपनी सील लगाने दें। साथ ही, मतगणना स्थगित किए जाने के संबंध में अध्याय 14 की कंडिका 3 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करें ।

7. मतपेटियों को खाली किया जानाः

मतपेटियों के निरीक्षण एवं सीलों की अक्षुण्णता के बारे में आश्वस्त होने के उपरान्त मतपेटी खोलकर सभी मतपत्र निकाले जाएं। उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को इस बारे में अपना समाधान कर लेने दिया जाए कि मतपेटी में से सारे मतपत्र निकाल लिए गए हैं और उसके अंदर और कोई मतपत्र नहीं बचा है। आम चुनाव में, सामान्यतया प्रत्येक मतपेटी में से पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए डाले गये अलग–अलग रंगों के मतपत्र निकलेंगे। प्रथमतः रंगों के आधार पर मतपत्रों की छटनी करके उनकी अलग–अलग गड्डियां बनाई जाएं। (इस स्टेज में मतपत्रों को उल्टा करके रखा जाए अर्थात् मतपत्रों के उस भाग को जिसमें अभ्यर्थियों के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित हैं, नीचे की ओर पलटकर रखा जाए।) तत्पश्चात् मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई दूसरी मतपेटी (यदि ऐसी कोई मतपेटी हो) को भी उपरोक्तानुसार ही खोलकर उसके मतपत्र निकाले जाएं और उन्हें समान रंग वाले मतपत्रों की गड्डियों में शामिल किया जाए।

(2) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् मतपत्रों को पलटकर सीधे रख लें और पंचों के मतपत्रों की वार्डवार अलग–अलग गड्डियां बनाएं। मतपत्रों की वार्डवार छटनी, मतपत्र के पीछे अंकित सुभेदक मोहर में वार्ड का क्रमांक देखकर आसानी से की जा सकती हैः

8.मतपत्रों की संख्या का विवरण अंकित करनाः

प्रत्येक वार्ड से पंच के निर्वाचन में पड़े कुल मतपत्रों की संख्या उस वार्ड से संबंधित गड्डी में शामिल मतपत्रों की गिनती करके ज्ञात की जाएगी। मतपत्रों की इस संख्या की प्रविष्टि निम्नांकित अभिलेखों में की जाए–

(i) मतपत्र लेखा–भाग–2(परिशिष्ट–उन्नीस/प्ररूप–15), तथा

(ii) गणना परिणाम पत्र की कंडिका (ग) (परिशिष्ट–तेईस/प्ररूप–16)

विभिन्न वार्डों के पंचों के स्थानों (सीटों) के संबंध में यह कार्य पूर्ण हो जाने पर ठीक इसी प्रकार सरपंच के स्थान (सीट) के लिए मतपेटी/पेटियों में पाये गये मतपत्रों की संख्या ज्ञात की जाए एवं इस संख्या की प्रविष्टि क्रमशः मतपत्र लेखा भाग–2 (परिशिष्ट–उन्नीस/प्ररूप–15) तथा गणना परिणाम पत्र की कंडिका (ग) (परिशिष्ट–चौबीस/प्ररूप 17 भाग–एक) में की जाए । इसी प्रकार क्रमशः जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए डाले गये मतपत्रों की संख्या ज्ञात की जाए एवं संबंधित संख्या की प्रविष्टियां मतपत्र लेखा भाग–2 (परिशिष्ट–उन्नीस/प्ररूप–15) तथा गणना परिणाम पत्र (परिशिष्ट–पच्चीस/प्ररूप–18 भाग एक) अथवा यथास्थिति (परिशिष्ट–छब्बीस प्ररूप–19 भाग–एक) में, की जाए ।

9. मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) और गणनाः

(1) कंडिका–8 में वर्णित कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात् सर्वप्रथम प्रत्येक वार्ड से पंच के स्थान (सीट) के लिए, मतपत्रों का अभ्यर्थीवार छटनी और संवीक्षा (जांच) की जाए। तत्पश्चात् क्रमशः सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के स्थान (सीट) के लिए मतपत्रों की अभ्यर्थीवार छटनी और संवीक्षा की जाएं। मतपत्रों की अभ्यर्थीवार संवीक्षा करते समय ऐसे मतपत्रों को अलग रख दिया जाए जो ''संदेहास्पद'' हों, अर्थात् जिन्हें देखकर आसानी से यह विनिश्चिय नहीं किया जा सकता है कि वे वैध हैं या प्रतिक्षेपित करने लायक ? ''संदेहास्पद'' मतपत्रों की संवीक्षा प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) द्वारा सावधानी से एक–एक कर के की जाए। ऐसी संवीक्षा में जो मतपत्र किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मान्य किए जाएं, उन्हें उस अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े मतपत्रों की गड्डी में शामिल किया जाए तथा जो मतपत्र

अंतिम रूप से प्रतिक्षेपित (खारिज) किए जाएं, उन्हें प्रतिक्षेपित मतपत्रों की एक अलग गड्डी में रखा जाए। प्रतिक्षेपित (खारिज)किये जाने वाले और न किये जाने वाले मतपत्रों के नमूने **परिशिष्ट–सत्ताईस** में दिये गये हैं।

(2) प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए ऐसे प्रत्येक मतपत्र को जिसे कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता देखना चाहे, उसे दिखाया जाए परन्तु मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति न दी जाए। प्रतिक्षेपित प्रत्येक मतपत्र के पीछे, आप इस प्रयोजन के लिए दी गई निम्नांकित मोहर लगाएं और उसमें यथास्थान मतपत्र खारिज करने के कारण का सूक्ष्म उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर करें।

प्रतिक्षेपित मतपत्र पर लगाई जाने वाली मोहर का नमूनाः–

प्रतिक्षेपित (खारिज)

आधार.....

नियम 76(1).....

. . . . . .

हस्ताक्षर

(3) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 76 के अनुसार कोई मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) कर दिया जावेगा यदि–

(क) उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(घ) वह मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांकों से भिन्न अनुक्रमांक का या परिकल्प (डिजाइन) से भिन्न परिकल्प का है, या

(ड.) उस पर सुभेदक मोहर नहीं लगी है और/या पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, या

(च) उस पर मतांकन का चिन्ह (अर्थात् घूमने वाले तीरों का चिन्ह) नहीं लगा है, या

(छ) उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने पर चिन्ह लगाया गया है, या

(ज) उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की मोहर) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है. या

(झ) मतांकन का चिन्ह पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह छायाकृत स्थान के अंदर बना है।

किन्तु यह समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में वर्णित कोई त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है, ऐसी त्रुटि पर ध्यान न देते हुए इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जाएगा।

(4) किसी मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जाएगा किः–

(एक) किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाए गए हैं, या

(दो) एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग वाले (छायाकृत) स्थान में भी चिन्ह लगा है, या

(तीन) मूल चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रूप से बना है, किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई है। (मूल चिन्ह और उसकी छाप में अन्तर करना आसान है। मूल चिन्ह में तीरों की दिशा घड़ी कि सूइयों के घूमने की दिशा के विपरीत रहती है। छाप में तीरों की दिशा इससे उल्टी अर्थात् घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में हो जाएगी। इस आधार पर छाप तथा मूल चिन्ह में सरलतापूर्वक भेद किया जा सकता है।)

(चार) चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है, परन्तु किसी दूसरे अभ्यर्थी के खाने में भी धब्बा बन गया है, या

(पांच) मतपत्र के पीछे कोई सुभेदक मोहर और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि यह चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई है, या

(छः) मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से यह स्पष्ट हो जाए कि मतदाता की मंशा किस अभ्यर्थी को (अपना) मत देने की थी? या

(सात) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है ।

10. मतों की गणना और अभ्यर्थियों को मिले मतों का आख्यापन (ऐलान):

संवीक्षा के उपरान्त, निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मतों की गणना की जाए और तत्पश्चात् प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों को गिना जाए। गणना परिणाम की प्रविष्टियां सुसंगत परिणाम पत्र (पंच के लिए प्ररूप 16, सरपंच के लिए प्ररूप–17 भाग–एक, जनपद पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–18, भाग–एक तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–19 भाग–एक) में अंकित की जाएं।

मतगणना पूर्ण होने पर उस स्थान (सीट) से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की संख्या का आख्यापन (ऐलान), सर्वसंबंधित की जानकारी के लिए किया जाए। उल्लेखनीय है कि आख्यापन से अभिप्राय निर्वाचन की घोषणा से नहीं है। इसका अभिप्राय केवल उस मतदान केन्द्र में, विभिन्न अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या का ''ऐलान'' किये जाने से है।

किसी भी स्थान (सीट) से, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसी घोषणा, खण्ड/तहसील मुख्यालय पर अगले दिन रिटर्निंग आफीसर (पंचायत) द्वारा (सारणीकरण पूर्ण हो जाने और निर्वाचन का विवरण तैयार हो जाने के पश्चात्) पृथकशः की जाएगी।

11. मतों की पुनर्गणनाः

(1) विधिमान्य मतों की संख्या का आख्यापन किए जाने पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता चाहे तो मतपत्रों के पुनर्गणना की मांग कर सकता है किन्तु उसके लिए उसे उन आधारों का वर्णन करते हुए, जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, लिखित में आवेदन करना होगा। उसे ऐसा करने के लिए आख्यापन के पश्चात् कुछ समय दें। पुनर्गणना हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आप उसमें उल्लिखित आधारों के बारे में विचार करें। आप आवेदन को पूर्णतः या अंशतः मंजूर कर सकते हैं अथवा उस दशा में जबकि आवेदन तुच्छ या अयुक्तियुक्त कारणों पर आधारित हो, उसे अमान्य कर सकते है। किन्तु आपका ऐसा हर विनिश्चिय कारणों सहित लिखित में होना चाहिए।

यदि आप पुनर्गणना हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने का विनिश्चिय करें तो–

(क) अपने विनिश्चय अनुसार मतपत्रों की पुनर्गणना करें।

(ख) गणना परिणाम–पत्र को पुनर्गणना के पश्चात् आवश्यकतानुसार संशोधित करें।

(ग) किए गए ऐसे संशोधन के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या का पुनः आख्यापन (ऐलान) करें।

टीप– पुनर्गणना से आशय प्रत्येक मतपत्र की चाहे वह किसी उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया वैध मतपत्र मानकर उसकी गड्डी में रखा गया हो अथवा प्रतिक्षेपित (खारिज) किया गया हो की पुनः संवीक्षा (जांच) और पुनर्गणना से हैं।

(2) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् गणना परिणाम पत्र को पूरा भरकर, उस पर अपने हस्ताक्षर करें। इसके बाद पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होगा।

12. विधिमान्य मतों तथा प्रतिक्षेपित मतों की गड्डियां बनानाः

प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की 50–50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांधे। अंतिम गड्डी में 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं और इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों की संख्या 50 से कम हो तो उसकी एकमात्र गड्डी भी 50 से कम मतपत्रों की होगी । किसी एक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की सभी गड्डिया एक के ऊपर एक रखते हुए उन्हें रबर बैन्ड से बांध दें और उसके ऊपर ''गणना पर्ची'' लगा दें। ''गणना पर्ची'' का प्ररूप परिशिष्ट–अट्ठाईस में दिया गया है। प्रत्येक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए मतों की एक अलग गड्डी बनाई जाए तथा उसमें भी एक पर्ची लगाई जाए, जिसका प्ररूप परिशिष्ट–उन्तीस में उद्धृत है। किसी एक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की गड्डियों तथा उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिक्षेपित मतों की गड्डी को एक साथ रबर बैन्ड से बांधकर उनका एक बंडल बनाएं। इस बंडल को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कागज की शीट में लपेट कर सीलबंद करें। ऐसे सीलबन्द पैकेट पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/गणन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

13, मतगणना का क्रम :

पंचों के निर्वाचन से संबंधित मतगणना कार्य सम्पन्न हो जाने के बाद ठीक उसी प्रकार क्रमशः सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के स्थान (सीट) के लिए डाले गये मतपत्रों की गणना की जाए और गणना का परिणाम पत्र, यथास्थिति, प्ररूप–17 भाग–एक, प्ररूप–18 भाग एक एवं प्ररूप–19 भाग–एक में तैयार किया जाए।

14. अभ्यर्थियों को गणना पर्ची का प्रदायः

मतगणना पूर्ण हो जाने और यथास्थिति, गणना परिणामपत्र प्ररूप–16 अथवा प्ररूप–17, 18 एवं 19 के भाग–एक में प्रविष्टियां प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी या उसकी ओर से उपस्थित निर्वाचन/गणन अभिकर्ता को (परिशिष्ट–अट्ठाईस में निर्धारित) गणना पर्ची अनिवार्यतः और निःशुल्क प्रदान करें। इस हेतु आपको पर्याप्त संख्या में कोरी गणना पर्चियां मतगणना सामग्री के साथ दी जाएंगी।

15, मतगणना कार्य की निरन्तरताः

मतों की गणना का कार्य एक बार शुरू होने पर तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाए। बगैर किसी अप्रत्याशित घटना या अपरिहार्य परिस्थिति के, गणना कार्य बीच में न रोका जाए। यदि किसी अपरिहार्य कारण (जैसे कि तूफान, तेज बारिश, आग, हिंसा आदि) से मतगणना बीच में रोकनी पड़े तो सभी मतपत्रों और अन्य कागजों को एक या अधिक पैकेटों में रखकर सीलबन्द करें। ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी सील लगाएं और यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/गणन अभिकर्ता भी अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दें।

———————————

अध्याय–17

मतगणना के बाद की कार्यवाहियां

1. मतपत्रों के बण्डल आदि सीलबंद करनाः

(1) मतगणना सम्पन्न हो जाने के पश्चात् गिने हुए मतपत्र की गड्डियों के निम्नानुसार बण्डल बनाएं और उन्हें सीलबन्द करें :–

(1) पंचों के मतपत्र– मतपत्रों की गिनी हुई गड्डियों को वार्डवार जमाएं। किसी वार्ड से संबंधित विभिन्न अभ्यर्थियों की गड्डियों को, एक के ऊपर करके रखें और सबसे ऊपर उस वार्ड में प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों की गड्डी रखें। तत्पश्चात् वार्ड की समस्त गड्डियों को एक रबर बैण्ड या धागे से बांधकर उनका एक बण्डल बनाएं। वार्डवार बन जाने के बाद सभी बण्डलों को एक साथ रखकर उन्हें धागे या सुतली से बांधकर कागज की एक शीट (क्रमांक–2) में लपेटें, शीट के किनारों को चिपकाएं और फिर उसे चारों ओर से सुतली से लपेट कर सीलबंद करें।

(पप) सरपंच के मतपत्र– सरपंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों की गड्डियों को एक के ऊपर एक रखें। सबसे अधिक मतपत्रों वाली गड्डी सबसे नीचे, उससे कम मतपत्र वाली उसके ऊपर और इसी क्रम में उन्हें एक के ऊपर एक रखते जाएं। तदुपरांत प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों की गड्डी सबसे ऊपर रखते हुए इन सभी गड्डियों का एक बण्डल बनाएं और उसे रबर बैण्ड या धागे से बांध दें।

(पपप) जनपद पंचायत सदस्य के मतपत्र– सरपंच की तरह ही जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये मतपत्रों एवं प्रतिक्षेपित मतपत्रों का बण्डल तैयार करें।

(पअ) जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र– सरपंच की तरह जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये मतपत्रों एवं प्रतिक्षेपित मतपत्रों का सीलबंद बंडल तैयार करें।

सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों के उपरोक्त बंडलों को धागे से बांधकर, कागज की शीट (क्रमांक–3) में लपेटें। शीट के किनारों को चिपकाकर और चारों ओर से सुतली से लपेटकर सीलबन्द कर दें।

मतपत्रों के उपरोक्त सीलबन्द पैकेटों पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता अपनी भी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दें।

2. गणना परिणाम पत्रों को सीलबन्द करनाः

विभिन्न पदों के निर्वाचन से संबंधित गणना परिणाम पत्र निम्नानुसार अलग–अलग लिफाफों (क्रमांक–10) में रखकर उन्हें सीलबंद करें :–

(प) पंचों के गणना परिणाम पत्र – प्रत्येक वार्ड के लिए अलग–अलग।
(पप) सरपंच का गणना परिणाम–पत्र।
(पपप) जनपद पंचायत सदस्य का गणना परिणाम –पत्र।
(पअ) जिला पंचायत सदस्य का गणना परिणाम–पत्र।

किसी पद विशेष से संबंधित गणना परिणाम–पत्र को जिस लिफाफे में रखा जाए उसके ऊपर यथास्थान उसकी अन्तर्वस्तु का विवरण अंकित किया जाए। किसी लिफाफे को सीलबंद करते समय जो

अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता उस पर अपनी सील लगाना चाहे, उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

3. मतपत्र लेखा संबंधी लिफाफे बन्द करनाः

प्रत्येक स्थान (सीट) से संबंधित मतपत्र लेखा अलग–अलग लिफाफे (क्रमांक–7) में रखकर उसे सील बंद कर दें ।

4. पीठासीन अधिकारी की डायरी का भाग–2 तैयार करनाः

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् मतगणना से संबंधित पीठासीन अधिकारी की डायरी का भाग–2 तैयार करें, और फिर उसे, इस हेतु प्रदत्त लिफाफे (क्रमांक–8) में रखकर लिफाफे को बन्द कर दें। इसे सील करने की आवश्यकता नहीं है।

5. अन्य कागज पत्रों को बन्द करनाः

मतगणना से संबंधित निम्नांकित विविध कागज–पत्रों को अलग–अलग लिफाफों में रखते हुए उन्हें बन्द कर दें :–

(1) गणना अभिकर्ताओं के नियुक्ति–पत्र और उनके द्वारा की गई घोषणाएं।
(2) पुनर्गणना के लिए प्रस्तुत आवेदन–पत्र और उनके संबंध में पारित आदेश, सूची के साथ।
(3) मतगणना से संबंधित अन्य कागज–पत्र, सूची के साथ।

उपरोक्त लिफाफों को एक बड़े आकार के विविध लिफाफे (क्रमांक–11) में रखें और उसे बन्द कर दें। इस लिफाफे को सील करने की आवश्यकता नहीं हैं।

6. मतदान केन्द्र से वापसी की तैयारीः

विभिन्न कागजातों एवं लिफाफों को सील बन्द करने के बाद मतगणना के परिणाम–पत्र, मतपत्र लेखा के लिफाफे, पीठासीन अधिकारी की डायरी, परिनियत लिफाफों के बण्डल तथा गिने गये मतपत्रों के बंडल खाली मतपेटी/मतपेटियों में रखें। यदि पेटी में स्थान बचा हो तो विविध कागजपत्रों के लिफाफे (क्रमांक–9 तथा 11) भी उसमें रख दें, अन्यथा उन्हें पेटी के बाहर रखें।

उपरोक्त कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त आप निर्धारित परिवहन व्यवस्था के अनुसार मतदान केन्द्र से वापसी यात्रा की प्रतीक्षा करें। कारणवश यदि वाहन पहुंचने में देरी भी हो जाए तो वहां से कहीं न जाएं। किसी भी हालत में वापसी यात्रा का स्वतंत्र कार्यक्रम न बनाएं और निर्धारित वाहन या परिवहन व्यवस्था से हटकर किसी अन्य वाहन से न लौटें।

———————————

अध्याय–18

मतदान दल की वापसी तथा सामग्री जमा करना

1. वापसी यात्राः

मतदान केन्द्र तक पहुंचने तथा मतदान के उपरान्त वहां से वापस लाने की जो व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा की गई हो उसी के अनुसार आप, कार्य पूर्ण हो जाने पर, निर्वाचन संचालन केन्द्र अर्थात् खण्ड या तहसील मुख्यालय को लौंटे।

सामान्यतः जिस मार्ग से आप मतदान केन्द्र तक पहुंचेगें उसी मार्ग से आपको वापस लाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि वापसी यात्रा में आपके दल का कोई मतदान अधिकारी या सुरक्षाकर्मी पीछे छूट न जाए।

2. सामग्री जमा करनाः

निर्वाचन संचालन केन्द्र पर पहुंचने पर आपको, सामग्री को विभिन्न काउन्टरों पर जमा कराना होगा। सामान्यतया वहां पर निम्नांकित 3 काउन्टर रहेंगे, जिनमें सामग्री जमा कराई जानी होगीः–

काउन्टर का विवरण	यदि मतगणना कार्य मतदान केन्द्र पर कर लिया गया हो	यदि मतगणना का कार्य मतदान केन्द्र पर न किया गया हो
(1)	(2)	(3)
क्रमांक–1	(1) मतगणना के परिणाम–पत्र– **(i)** आपके मतदान केन्द्र से सम्बद्ध वार्डों में से प्रत्येक के लिए पंच के निर्वाचन से संबंधित, गणना–परिणाम–पत्र का लिफाफा **(ii)** सरपंच के निर्वाचन से संबंधित गणना परिणाम–पत्र का लिफाफा। **(iii)** जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित गणना परिणाम–पत्र का लिफाफा। **(iv)** जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित गणना–परिणाम–पत्र का लिफाफा।	(1)सीलबन्द मतपेटी/मतपेटियां

(1)	(2)	(3)
	(2) मतपत्र लेखा के लिफाफे– (पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए, अलग–अलग)।	(2) मतपत्र लेखा के लिफाफे– (पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग–अलग)।
	(3) पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा	(3) पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा।
क्रमांक–2	(1) परिनियत लिफाफों के बंडल (2) गिने गए मतपत्रों के बंडल– (i) पंचों के निर्वाचन से संबंधित (प्रत्येक वार्ड के लिए एक)। (ii) सरपंच के निर्वाचन से संबंधित (iii) जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित। (iv) जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित	(1) परिनियत लिफाफों के बंडल
	(3) अभ्याक्षेप की जप्तशुदा राशि और रसीदों की प्रतियां।	(2) अभ्याक्षेप की जप्तशुदा राशि और रसीदों की प्रतियां
क्रमांक–3	(i) उन लिफाफों का बंडल जिनमें उपयोग में न लाए गए मतपत्र रखे हों।	(i) उन लिफाफों का बंडल जिनमें उपयोग में न लाए गए मतपत्र रखे हों।
	(ii) खाली मतपेटी/पेटियां	(ii) खाली मतपेटी/पेटियां यदि कोई हों
	(iii) धातु की सील	(iii) धातु की सील
	(iv) रबर की मोहरें	(iv) रबर की मोहरें
	(v) अन्य बची हुई सामग्री	(v) अन्य बची हुई सामग्री
	(vi) पीठासीन अधिकारियों को दी गई मार्ग निर्देशिका एवं अन्य प्रकाशन	(vi) पीठासीन अधिकारियों को दी गई मार्ग निर्देशिका एवं अन्य प्रकाशन

काउन्टर क्रमांक–1 पर जमा की जाने वाली सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप स्वयं जमा करें। काउन्टर क्रमांक–2 तथा 3 पर जमा की जाने वाली सामग्री को जमा करने का दायित्व अपने सहयोगी मतदान अधिकारियों को सौंपे। सामग्री जमा करने पर संबंधित काउन्टर के प्रभारी अधिकारी से रसीद प्राप्त कर लें।

3. खण्ड/तहसील स्तर पर मतगणनाः

(1) यदि सुरक्षा संबंधी कारणों से या अन्य किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण आपके मतदान केन्द्र पर मतों की गणना का कार्य नहीं किया गया तो आपको अगले दिन, अपने दल के अन्य सदस्यों की सहायता से, आपके मतदान केन्द्र पर पड़े मतों की गिनती करनी होगी। अतः आप पुनः अगले दिन मतगणना के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व गणना भवन/स्थल पर उपस्थित होवें ।

(2) मतगणना के लिए आपको, आपके मतदान केन्द्र से संबंधित निम्नांकित वस्तुएं पुनः उपलब्ध कराई जाएंगीः–

(i) सील बन्द मतपेटी/पेटियां,

(ii) मतपत्र लेखा लिफाफे (पंचों, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग–अलग) तथा

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी।

मतपत्र लेखा का भाग–2 आपके द्वारा मतपेटी/पेटियों में से मतपत्र निकालने और उनकी भौतिक गणना करने के बाद भरा जाएगा। पीठासीन अधिकारी की डायरी का भाग–दो, मतगणना कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात् भरा जाएगा।

साथ ही आपको, मतगणना के लिए आपकी मेज पर आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

4. मतगणना सम्पन्न हो जाने पर आप कंडिका 2 में उल्लिखित काउन्टरों पर कागजात और सामग्री जमा करें तथा काउन्टर के प्रभारी अधिकारी से रसीद प्राप्त कर लें। उसके बाद ही आप निर्वाचन–डयूटी से मुक्त माने जाएंगे।

5. मानदेय राशि का भुगतानः

चुनाव ड्यूटी के लिए आपको देय मानदेय राशि का तत्परता से भुगतान करने के लिए एक अलग काउन्टर (काउन्टर क्रमांक–4) पर व्यवस्था रहेगी। अतः अपने निवास स्थान को लौटने के पूर्व आप तथा आपके दल के सभी अधिकारी/कर्मचारी इस काउन्टर से भुगतान प्राप्त कर लें।

———————————

पदाभिहित अधिकारियों की सूची

सारणी–क

स.क्र.	अधिकारी का पदनाम	उस अधिकारी का पदनाम जिसके कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित किया गया	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कलेक्टर	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)	सम्पूर्ण जिला
2	कलेक्टर द्वारा नामांकित तथा जिला मुख्यालय में पदस्थ कोई डिप्टी कलेक्टर /सहायक कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)	सम्पूर्ण जिला
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अतिरिक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)	संबंधित अधिकारी के प्रभार का राजस्व अनुभाग

सारणी–ख

क्रमांक	पंचायत का नाम जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन से स्थान भरने के लिए निर्वाचन किया जा रहा है	अधिकारी का पदनाम, जिसे रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम, जिसे सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया गया है	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जिला पंचायत	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियम,19 (3) के अंतर्गत	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/उप संचालक, पंचायत एंव समाज सेवा/ जिला योजना अधिकारी/विकासखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	सम्पूर्ण जिला
2	जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत	तहसीलदार/अपर तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर.	(i) तहसीलदार/अपर तहसीलदार, यदि वह स्वयं रिटर्निंग आफिसर नियुक्त न किया गया हो तो. (ii) विकासखण्ड अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी/नायब तहसीलदार/कृषि विस्तार अधिकारी/ सहकारिता विस्तार अधिकारी/ उद्योग निरीक्षक (विस्तार) पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक/विकास विस्तार अधिकारी/उपयंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)/खाद्य निरीक्षक/मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण.	सम्पूर्ण खण्ड (अर्थात जनपद पंचायत क्षेत्र)

निर्वाचन प्रतीकों की सूची

भाग–एक– जिला पंचायत के सदस्य के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	दो पत्तियां	21	चाबी
2	ऊगता सूरज	22	मोमबत्तियां
3	पतंग	23	कढ़ाई
4	छाता	24	सीटी
5	गाड़ी	25	सिर पर टोकरी सहित औरत
6	लालटेन	26	लड़का–लड़की
7	फावड़ा और बेलचा	27	नाव
8	बिजली का बल्ब	28	बेंच
9	सिलाई की मशीन	29	गैस सिलेण्डर
10	हाथ चक्की	30	गैस स्टोव
11	टेबल पंखा	31	सिगड़ी
12	स्लेट	32	संडसी
13	अलार्म घड़ी	33	गैस बत्ती
14	रेडियो	34	गुब्बारा
15	हारमोनियम	35	मेज
16	दो तलवार और एक ढाल	36	कुर्सी
17	पिचकारी	37	मोरपंख
18	मटका	38	पीपल का पत्ता
19	अंगूठी	39	सूरज मुखी
20	बल्ला		

भाग–दो–जनपद पंचायत के सदस्य के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	ब्लैक बोर्ड	14	टेलीफोन
2	दीवार घड़ी	15	डीजल पम्प
3	बरगद का पेड़	16	प्रेशन कुकर
4	झोपड़ी	17	कप प्लेट
5	ट्रेक्टर चलाता हुआ किसान	18	लेटर बाक्स
6	तराजू	19	आरी
7	फसल काटता हुआ किसान	20	कंघी
8	हाथ घड़ी	21	ढोलक
9	मशाल	22	ड्रम
10	अलमारी	23	भोंपू
11	छत का पंखा	24	चारपाई
12	टेलीविजन	25	दरवाजा
13	रेल का इंजन		

भाग–तीन–ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	साइकिल	14	स्टूल
2	चश्मा	15	कलम दवात
3	कांच का गिलास	16	कुंआ
4	फलों सहित नारियल का पेड़	17	गेहूं की बाली
5	हस्तचलित पम्प	18	बस
6	ताला और चाबी	19	पुल
7	अनाज बरसाता हुआ किसान	20	नल
8	सब्जियों की टोकरी	21	लट्टू
9	घंटी	22	जग
10	टेबल लैंप	23	हाकी और गेंद
11	खंबे पर ट्यूब लाइट	24	टोप
12	हार	25	वायलिन.
13	किताब		

भाग–चार–ग्राम पंचायत के पंच के लिए

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	सीढ़ी	6	बिजली का स्विच
2	फावड़ा	7	मक्के का भुट्टा
3	बाल्टी	8	कैंची
4	हल	9	केतली
5	कुल्हाड़ी	10	बेलन

भाग–पांच–किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीक

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	बनियान	8	वायुयान
2	कमीज	9	रोड रोलर
3	फ्राक	10	सेव
4	गुलाब का फूल	11	मूली
5	पोत	12	आम
6	स्कूटर	13	केला
7	जीप	14	लेडी पर्स.

मतदान केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था

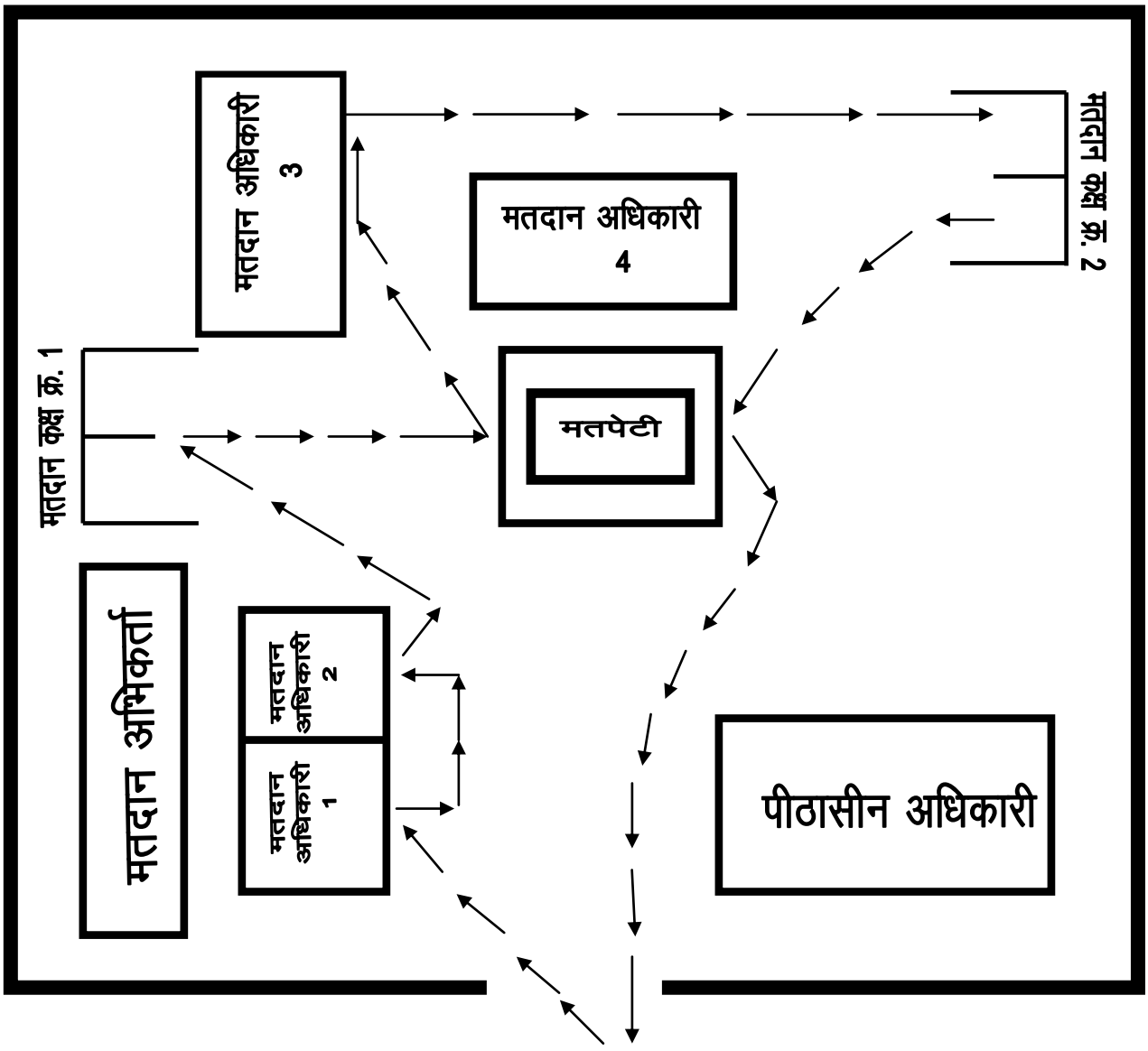

परिशिष्ट–चार

प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये दी जाने वाली सामग्री

क्र.	सामग्री का नाम	संख्या/मात्रा
(1)	(2)	(3)
	1- सामान्य	
(1)	मतपेटियां	1 बड़ी या 3 छोटी
(2)	सुभेदक मोहर (रबर सील) : (प) पंच/सरपंच के लिए (एक प्रकार की)तथा (पप) जनपद/जिला पंचायत सदस्यों के लिए (दूसरे प्रकार की).	2
(3)	अमिट स्याही की शीशी	1 (7.5 सी.सी.)
(4)	लचीले तार का टुकड़ा	1 मीटर
(5)	सुतली	50 ग्राम
(6)	धागा/ट्वाइन	आधा गोला
(7)	मोमबत्ती	2 या अधिक (कुल वजन 75 ग्राम)
(8)	माचिस	1
(9)	चपड़े की सलाइयां	2 या अधिक (कुल वजन 100 ग्राम)
(10)	धागे के साथ सीलबंद करने के लिए 3 से.मी. × 5 से.मी. आकार के मोटे कागज के टुकड़े	10
(11)	अलपीन/क्लिप	20
(12)	गोंद की छोटी शीशी	1
(13)	पीठासीन अधिकारी की (पीतल की) सील	1
(14)	बैगनी स्याही का स्टाम्प पैड	1
(15)	बैगनी स्याही की छोटी शीशी या गोली	1
(16)	मतपत्र पर निशान लगाने के लिये घूमते तीरों के चिन्ह वाली रबर की मोहरें	4
(17)	स्केल (मतपेटी में मतपत्रों को दबाने के लिये पुशर के रूप में उपयोग हेतु)	1(30 से.मी. लम्बा स्केल)
(18)	लोहे की धारदार पट्टी– मतपत्रों को प्रतिपर्णों से अलग करने के लिए.	2(25 से.मी. ×2.0 से.मी.)
(19)	ब्लेड	1
(20)	चाक स्टिक्स	2
(21)	लोहे की कीलें	10(3 से 4 से.मी. लम्बी)
(22)	रबर बैंड	40
(23)	कपड़े की थैली	मतपेटियों की संख्या के बराबर,
(24)	कोरा कागज	
	(क) सफेद ताव	4
	(ख) भूरे ताव	2

(1)	(2)	(3)
(25)	कार्बन पेपर	2
(26)	बाल प्वाइंट पेन	1
(27)	पेंसिल	1
(28)	रबर	1
(29)	सादे कागज की सीलें	गोदरेज टाइप मतपेटियों की संख्या
(30)	प्रतिक्षेपित (खारिज) होने वाले मतपत्रों पर कारण दर्ज करने के लिए लगाइ जाने वाली मोहर	1
(31)	"पीठासीन अधिकारी" तथा प्राधिकृत अधिकारी" के पदनाम की मोहरें (मतदान केन्द्र का क्र.. . . . . दर्शाते हुए)	2

2- मतदान के लिएः

(क) मतदाता सूची तथा मतपत्रः–

(1)	मतदाता सूची (संबंधित ग्राम पंचायत की)	4 प्रतियां
(2)	मतपत्रः	(i)पंच के लिए ऐसे प्रत्येक वार्ड से संबंधित, जिसके लिए मतदान होना हो. (ii) सरपंच के लिए (iii)जनपद पंचायत सदस्य के लिए (iv)जिला पंचायत सदस्य के लिए

टीप– पंच के लिए प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की संख्या को निकटतम दशांक तक पूर्णांकित करने पर आने वाली संख्या के बराबर तथा अन्य पदों के लिए मतदान केन्द्र से सम्बद्ध कुल मतदाताओं की संख्या को निकटतम दशांक तक पूर्णाकित करने पर आने वाली संख्या के बराबर मतपत्र 50–50, 20–20 एवं 10–10 की गड्डियों में दिये जाएंगे.

(ख) प्ररूप आदि मुद्रित सामग्रीः–

(1)	मतदान केन्द्र के क्षेत्र के संबंध में सूचना (जिसके मतदाता उस केन्द्र पर मतदान करने के हकदार हैं)(परिशिष्ट–ग्यारह).	3
(2)	मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले पोस्टर	4
(3)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचीः–(निर्वाचन प्रतीकों के साथ)	
	(प) पंच(प्ररूप 8–क)	3
	(पप) सरपंच (प्ररूप 8–ख)	
	(पपप) जनपद पंचायत सदस्य (प्ररूप 8–ग)	3
	(पअ) जिला पंचायत सदस्य (प्ररूप 8–घ)	3
(4)	अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप–12)	1
(5)	प्रतिरूपण के मामले में पुलिस को भेजे जाने वाली रिपोर्ट (परिशिष्ट–सत्रह)	2(कम पड़ने पर अतिरिक्त प्रतियां हाथ से तैयार की जाएं)
(6)	अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा(प्ररूप 13 क)	1(कम पडने पर अतिरिक्त प्रतियां हाथ से तैयार की जाएं)
(7)	अंधे/शिथिलांग मतदाताओं की सूची(प्ररूप 13–ख)	1
(8)	अभ्याक्षेप के लिए जमा की जाने वाली राशि (रू.पांच) की रसीद (परिशिष्ट–सोलह)	4
(9)	निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप–14)	4
(10)	मतपत्र लेखा (प्ररूप–15)	ऐसे वार्डों की संख्या जिनके लिए मतदान हो रहा हो + 3

(1)	(2)	(3)
(11)	मतदान स्थगित किये जाने की सूचना (परिशिष्ट–बीस)	2
(12)	पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट–बाईस)	1
	(ग) लिफाफे तथा शीट्सः–	
(1)	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के लिए लिफाफा (क्र.1)	1
(2)	रद्द किये गये मतपत्रों के लिए लिफाफा (क्र.2)	4
(3)	निविदत्त मतपत्र एवं उनकी सूची के लिए लिफाफा (क्र.3)	1
(4)	उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णों के लिए लिफाफा (क्र.4)	4
(5)	मतदाताओं को जारी न किये गये मतपत्रों के लिए लिफाफा(क्र.5)	4
(6)	अभ्याक्षेपित मतों की सूची के लिए लिफाफा (क्र. 6)	1
(7)	मतपत्र लेखा के लिए लिफाफा (क्र. 7)	ऐसे वार्डों की संख्या जिनके लिए मतदान हो रहा हो, +3
(8)	पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा (क्र.8)	1
(9)	मतदान से संबंधित विविध कागजात रखने के लिए लिफाफा (क्र.9)	1
(10)	परिनियत लिफाफों को लपेटने के लिए क्राप्ट पेपर (कागज) की शीट (क्रमांक 1)	4
	3. मतगणना के लिएः–	
	(क) प्ररूप/पर्चियां आदि मुद्रित सामग्रीः	
(1)	प्ररूप–16 गणना परिणाम पत्र–पंच	ऐसे वार्डो की संख्या के बराबर जिनके लिए मतदान हो रहा हो.
(2)	प्ररूप–17 भाग–एक गणना परिणाम पत्र–सरपंच	1
(3)	प्ररूप–18 भाग–एक गणना परिणाम पत्र–जनपद पंचायत सदस्य	1
(4)	प्ररूप–19 भाग–एक गणना परिणाम पत्र–जिला पंचायत सदस्य	1
(5)	गणना पर्चियां (परिशिष्ट–अट्ठाईस)(अभ्यर्थियों को देने तथा गिने हुए मतपत्रों की गड्डियों में लगाने के लिए)	विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या के दुगने +10प्रतिशत
(6)	प्रतिक्षेपित(खारिज) मतपत्रों पर लगाई जाने वाली पर्चियां (परिशिष्ट–उन्तीस)	ऐसे वार्डों की संख्या जिनके लिए निर्वाचन हो रहा हो +3
(7)	मतगणना स्थगित किये जाने की सूचना (परिशिष्ट–बीस)	2
	(ख) लिफाफे तथा शीट्सः	
(1)	गणना परिणाम पत्र रखने के लिए लिफाफा (क्रमांक–10)	ऐसे वार्डों की संख्या जिनके लिए मतदान हो रहा हो +3
(2)	मतगणना से संबंधित विविध कागजात रखने के लिए लिफाफा (क्रमांक –11)	1
(3)	वार्डवार पंचों के मतपत्रों को लपेटने के लिए क्राफ्ट पेपर (कागज) की शीट (क्रमांक–2)	ऐसे वार्डों की संख्या के बराबर जिनके लिए मतदान हो रहा हो.
(4)	सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों के मत पत्रों के लपेटने के लिए क्राफ्ट पेपर(कागज) की शीट (क्र.–3)	3

छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की कतिपय महत्वपूर्ण धाराओं का उद्धहरण

निर्वाचनो में पदाधिकारी आदि उम्मीदवारों के लिए कार्य नही करेंगे और न प्रभाव डालेंगे।

5. (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग आफिसर) या मतदान पदाधिकारी हो, या कलेक्टर या किसी स्थानीय प्रधिकरण के प्रमुख पदाधिकारी या निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन या मतदान पदाधिकारी द्वारा किसी निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त कोई पदाधिकारी या लिपिक हो, निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की प्रत्याशा में वृद्धि करने के लिये (मत देने के अतिरिक्त) कोई कार्य नहीं करेगा

(2) पूवोक्त जैसा कोई भी व्यक्ति तथा पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये फुसलाने का; या
(ख) किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने से प्रतिनिवृत करने का; या
(ग) निर्वाचन में किसी भी व्यक्ति के मतदान पर किसी प्रकार से प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

मतदान केन्द्रों में या उनके आसपास मत याचना करने का प्रतिषेध।

6. (1) कोई भी व्यक्ति उस दिनांक या दिनांको को जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान किया जाए, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से सौ मीटर की दूरी के भीतर के किसी मार्ग सड़क, गली या खुले स्थान में निम्नलिखित कार्यो में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, अर्थातः–

(क) मतों के लिए याचना करना (केन्वासिंग) करना; या
(ख) किसी मतदाता के मत की प्रयाचना (सालिसिट) करना; या
(ग) किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए किसी मतदाता को फुसलाना; या
(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी मतदाता को फुसलाना; या
(ड) निर्वाचन से संबंधित (शासकीय सूचना के अतिरिक्त) किसी अन्य सूचना या चिन्ह का प्रदर्शन करना।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1)के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

मतदान केन्द्रों में या उनके आसपास विश्रृखल आचरण के लिए शास्ति

7. (1) कोई भी व्यक्ति उस दिनांक या उन दिनांको का जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान किया जाय,–

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव ध्वनि का विस्तारण या पुनरूत्पादन करने वाला कोई उपकरण जैसा कि ध्वनिक्षेपक (मेगाफोन) या ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर), न तो उपयोग में लायेगा और न चलायेगा; या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में न तो चिल्लायेगा और विश्रृंखल रीति में अन्यथा कार्य करेगा,

कि जिससे मत देने के लिये मतदान केन्द्र में जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र के कर्तव्यारूढ़ पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में बाधा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करेगा, ऐसे कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

(3) यदि किसी मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन, दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या कर चुका है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसा होने पर पुलिस पदाधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(4) कोई भी पुलिस पदाधिकारी ऐसे उपाय कर सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा कि उपधारा (1) के उपबंधों के किसी उल्लंघन को रोकने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में लाये गये किसी उपकरण का अभिग्रहण कर सकेगा।

मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शास्ति।

8. (1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिये निश्चित किये गये घण्टों में अवचार करेगा या मतदान पदाधिकारी के विधिसंगत निर्देशों का पालन नहीं करेगा, मतदान पदाधिकारी द्वारा या किसी कर्तव्यारूढ़ पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नही किया जायेगा कि जिससे ऐसे मतदाता को, जिसे मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अन्यथा हक है, उस केन्द्र में मत देने का अवसर मिलने में बाधा हो।

(3) यदि कोई भी व्यक्ति जो मतदान केन्द्र से इस प्रकार हटाया गया हो, मतदान पदाधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करे, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्रिजेबल) होगा।

———————————

मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होगा।

10. (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र से कपटपूर्वक कोई मतपत्र ले जायेगा या ले जाने की चेष्टा करेगा या किसी ऐसे कार्य के किये जाने में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करेगा। कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि किसी मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा पदाधिकारी मतदान केन्द्र से ऐसे व्यक्ति के चले जाने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरतार कर सकेगा या व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करा सकेगा; परन्तु जब किसी स्त्री की तलाशी कराना आवश्यक हो, तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूर्व ध्यान रखते हुए ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर पाया गया कोई मतपत्र मतदान पदाधिकारी द्वारा पुलिस पदाधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंप दिया जावेगा या जब तलाशी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ली गई हो, तो वह ऐसे पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्रिजेबल) होगा ।

अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां।

11. (1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह

(क) किसी नाम निर्देशन–पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करे या कपट पूर्वक नष्ट करें; या

(ख) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन लगाई गई किसी सूची,सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करे, नष्ट करें, या हटाये; या

(ग) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र दे या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करे या कोई मतपत्र कब्जे में रखे हो; या

(घ) किसी मतपेटी में, ऐसे मतपत्र के अतिरिक्त जिसे कि वह उसमें डालने के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत है, अन्य कोई वस्तु कपटपूर्वक डाले; या

(ड) निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उस समय उपयोग में लाई जाने वाली किसी मतपेटी या मतपत्र को यथोचित प्राधिकार के बिना नष्ट करे, लेंवें, खोले या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करें; या

(च) कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना, जैसी कि दशा हो, पूर्वोक्त कार्यो में से कोई कार्य करने की चेष्टा करे या किन्हीं ऐसे कार्यों को किये जाने में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करे।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन–अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति–

(क) यदि वह निर्वाचन पदाधिकरी या किसी मतदान केन्द्र का मतदान पदाधिकारी या निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य पदाधिकारी या लिपिक हो तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को शासकीय कर्तव्य पर समझा जायगा यदि निर्वाचन के या उसके किसी भाग के, जिसमें मतों की गणना भी सम्मिलित है संचालन में भाग लेना या ऐसे निर्वाचन के संबंध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात उत्तरदायी रहना उसका कर्तव्य हो।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

निर्वाचनों के संबंध में शासकीय कर्तव्यों का भंग।

13.(1) यदि कोई व्यक्ति जिसको यह धारा लागू हो अपने शासकीय कर्तव्य को भंग करते हुए किसी कृत अथवा अकृत का, युक्तियुक्त कारण के बिना, दोषी हो, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता, दण्डनीय होगा।

(2) पूर्वोक्त प्रकार के किसी कृत अथवा अकृत के संबंध में हानि पूर्ति के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद या अन्य वैधिक कार्यवाही सन्धार्य नही होगी।

(3) जिन व्यक्तियों को यह धारा लागू होती हैः निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी (प्रिसाइडिंग आफिसर्स) मतदान पदाधिकारी और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त करने या उम्मीदवारी वापस लेने या निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या उनकी गणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो और अभिव्यक्ति ''शासकीय कर्तव्य'' का अर्थ इस धारा के प्रयोजन के लिये तद्नुसार लगाया जायेगा, किन्तु इसमें वे कर्तव्य सम्मिलित नहीं होंगे जो, इस विधि के जिसके अधीन निर्वाचन किया गया हो, द्वारा या अधीन के अतिरिक्त अन्यथा आरोपित किए गए हों।

मतदान की गोपनीयता बनाये रखना।

14 (1) प्रत्येक पदाधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या उनकी गणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा तथा उसे बनाये रखने में सहायता देगा और किसी भी व्यक्ति को (किसी भी विधि द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन की स्थिति को छोड़कर) ऐसी कोई भी जानकारी संसूचित नहीं करेगा जिससे कि ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण होता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

बूथ के बालात ग्रहण का अपराध

14–घ. जो कोई बूथ के बलात ग्रहण का अपराध करेगा वहकारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजन के लिये ''बूथ का बलात ग्रहण'' के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उसमें से कोई क्रिया कलाप है, अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियो से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान के लिये नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियां द्वारा मतगणना करने के स्थान का अधिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यार्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतो की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं अग्रसर करने के लिये पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

———————————

परिशिष्ट–छः

प्ररूप–8 क

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्र.....से पंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान.....

. . . . . .

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

तारीख. . . . . .

नाम.....

मोहर

प्ररूप–8 ख

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान.....

. . . . . .

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

तारीख. . . . . नाम.....

मोहर

प्ररूप–8 ग

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्र.....से सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान.....

. . . . . .

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

तारीख. . . . . नाम.....

..

मोहर

प्ररूप–8 घ

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्र.....से सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान.....

. . . . . .

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

तारीख. . . . . नाम.....

.

मोहर

मतपेटी उपयोग में लाने संबंधी अनुदेश
(क)गोदरेज टाइप मतपेटी

1. पेटी का खोलना.– (एक) बटन से खिड़की के ढक्कन (विण्डो कवर)को बांधने वाले तार को खोलिए।

(दो) खिड़की के ढक्कन को दाहिनी ओर घुमाइए, ताकि खिड़की पूरी तरह से खुल जाये, (जैसा की आकृति एक पर दिया गया है)।

(तीन) अपनी हथेली ऊपर की ओर रखते हुए खिड़की में एक अंगुली डालिये और उसे ब्रेकेट तक पहुंचाने के लिए ढक्कन के पेंदे में मध्यभाग तक पहुंचाये (यह ब्रकेट आकृति 2 पर देखा जा सकता है)।

(चार) ब्रेकेट को खिड़की की ओर खींचिए, तथा बटन की बायीं ओर तब तक घुमाइए जब तक कि एक चौथाई से भी कम घुमाव के बाद यह रूक न जाय जैसा कि आकृति 2 में है। (मतपेटी अब खुल गई है और ढक्कन उठाकर अन्दरूनी भाग दिखाया जा सकता है)।

(पांच) अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को पेटी के कल–पुर्जो में गड़बड़ी डाले बिना, पेटी का निरीक्षण करने दीजिए।

2. मतदान के लिये मतपेटी का तैयार करना.– (एक) मतपेटी का ढक्कन खोलिए, खाली मतपेटी उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओ कों दिखाईये। मतपेटी में पते की चिट (एड्रेस टैग) भी डालें ।

(दो) आपको दी गई एक कागज की सील लीजिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक मतपेटी में एक ही कागज की सील का उपयोग किया जायेगा।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थीयों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा जो हस्ताक्षर करना चाहते हों, कागज की सील के एक छोर पर हस्ताक्षर करायें। आप भी हस्ताक्षर कीजिए और तारीख डालिए।

(चार) चौखटे (फ्रेम) के मध्य भाग की भीतरी दरारों में किसी एक में कागज की सील का एक सिरा डालियें।

(पांच) इसके बाद कागज की सील का प्रत्येक सिरा पीछे को घुमाइये और उस चौखटे के समानवर्ती बाहरी दरारों में डालिये, यह सुनिश्चित कीजिये कि कागज की सील का छोर खिड़की से दूर है।

(छः) कागज की सील के उस सिरे को, जिस पर हस्ताक्षर हों, लम्बा रखिये। कागज की सील को पहुचने वाली आकस्मिक क्षति या उसमें गड़बड़ करने संबंधी प्रयत्न को रोकने के उद्देश्य से कागज की सील के नीचे के चौखटे के मध्य भाग में 2–1/10'' ×1–7/16'' आकार के कार्ड बोर्ड (पुठ्ठे) की गद्दी रखकर उसे मतबूत बनाईये। गद्दी पर्याप्त मोटी होनी चाहिए ताकि कागज की सील अपनी जगह यथावत बनी रहे। कागज की सील के दोनों छोरों की धार खींचकर उसकी जांच कीजिए यह बिल्कुल भी नही हिलनी चाहिए।

(सात) इसके बाद पुठ्ठे के ऊपरी दोनो कोने कागज की सील और मतपेटी ढक्कन के भीतरी भाग को सील लगाकर ढंक दीजिए।

(आठ) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता विलम्ब से आया हो और चौखटे (फ्रेम) में डाले जाने से पहले कागज की सील पर हस्ताक्षर न कर सका हो तो यदि वह चाहे तो उसे इस समय भी कागज की सील के लम्बे भाग पर हस्ताक्षर करने या अपनी सील लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(नौ) किसी भी स्थिति में कटी–फटी कागज की सील का उपयोग मत कीजिए। यह देखिये कि कागज की सील पर किये गये मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्ररूप 13 में उनकी घोषणा पर किये गये उनके हस्ताक्षरो से मिलते है।

(दस) फिर मतपेटी का ढक्कन धीरे से बंद कर दीजिए और देखिए कि कागज की सील के खुले सिरे मतपेटी के भीतर है और सील पेटी में लटकती न रहे। बटन को दाहिनी ओर और थोड़ा–थोड़ा तब तक घुमाइये जब तक कि वह खटके के साथ रूक न जाये। अब दरार (आकृति 3 पर बताये अनुसार) मतदान के लिये सही स्थिति में पूरी तरह खुली रहेगी। बटन को और ज्यादा मत घुमाइये अन्यथा दरार बंद हो जायेगी। यदि असावधानी के कारण ऐसा हो जाये तो कागज की सील नष्ट करने के बाद मतपेटी को फिर से खोलना पड़ेगा और एक बार फिर से मतदान के लिये नई कागज की सील लगाकर तैयार करना होगा।

(ग्यारह) खिड़की के ढक्कन (विण्डो कवर) को बायीं ओर घुमाइये ताकि उससे खिड़की पूरी तरह ढक जाये खिड़की के ढक्कन के सुराख और बटन के सामने के सुराग में तार का टुकड़ा डालिये और तार के छोरों को कसकर कई बार घुमाइये, ताकि खिड़की का ढक्कन बटन के साथ मतबूती से जम जाऐगें जो बाद में घुमाया न जा सके (देखिए आकृति 3) अब मतपेटी मतदान के लिये तैयार है।

3. मतदान के बाद दरार (स्लिट) बंद करना और मतपेटी पर सील लगाना–(एक)जिस तार से खिड़की का ढक्कन बंधा हुआ है उसे खोलिए ताकि खिड़की के ढक्कन को दाहिनी ओर घुमाइये इस बात की जांच कीजिए कि कागज की सील ज्यों की त्यों लगी है।

(दो) बटन को दाहिनी ओर घुमाइये, जब तक कि वह रूक न जाये और दरार (स्लिट) को पूरी तरह से बंद न कर दें। यह जांच कर लीजिये कि इसके बाद बटन किसी भी ओर घूमता तो नही है।

(तीन) अब खिड़की के ढक्कन को बांयी ओर घुमाइये ताकि वह खिड़की को पूरी तरह से ढक दे। बटन तथा खिड़की के ढक्कन को एक साथ पकड़िये तथा खिड़की के ढक्कन के छेद सामने के बटन के छेद में

एक तार पिरोकर तार के दोनों सिरों को कसकर कुछ बार मोड़ दीजिए ताकि खिड़की का ढक्कन और बटन मजबूती से बंध जाये।

(चार) बटन तथा खिड़की के ढक्कन के छेदों में एक डोरे का टुकड़ा डालिए और उसके दोनों छोरों को बटन के नजदीक कई गठानें लगाकर मजबूती से कस दीजिए। डोरे के खुले सिरों के नीचे मजबूत मोटे कागज का टुकड़ा रखिये और यथासंभव गठानों के पास ही उस पर उपनी सील लगाइये ताकि बिना सील तोड़े गांठ न खोली जा सके।

(पांच) मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार बंद कर सुरक्षित कर देने के पश्चात् फीते से मतपेटी/पेटीयों को चारों ओर से बांध दीजिए। ढक्कन पर हैण्डिल की नीचे से एक दूसरे को क्रास करते हुए एक मजबूत गांठ लगायें तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुट्ठे का टुकड़ा रखकर अपनी सील लगा दें। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगाा दें या हस्ताक्षर कर दें। (छः) यदि मतगणना मतदान केन्द्रों पर न कराकर बाद में कराई जाना है तोा यह आवश्यक होगा कि उपयोग में लाई गई तथा मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/ थैलियों में रखकर बंद कर दिया जावे। थैली में लगी डोरी को खींचकर ऊपरी हिस्से में गठान लगाकर कस दें और उसे 2–3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठें लगा दें। डोरी की गांठों पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छूती हुई अपनी सील लगा दें जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा सकते है। थैली के ऊपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रेस टैग) अच्छी तरह बांध दें।

टिप्पणी.—मतदान की समाप्ति के बाद सीलबंद मतपेटी को जिस कपड़े की थैली में रखा जाता है, उस पर स्याही से या रबर स्टाम्प से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि कपड़े की थैलियां खराब न हो जाएं और भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयोगी बना दी जाए। पुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार सभी लिखा पढ़ी पते की चिट (एड्रेस टैग) पर की जानी चाहिए। इस बात की परम सावधानी रखी जाए कि उन्हें ऐसे रूप से लगाया या चिपकाया जाए कि वे ले जाते समय निकल न जाए।

****

चित्र

गोदरेज टाईप मतपेटी

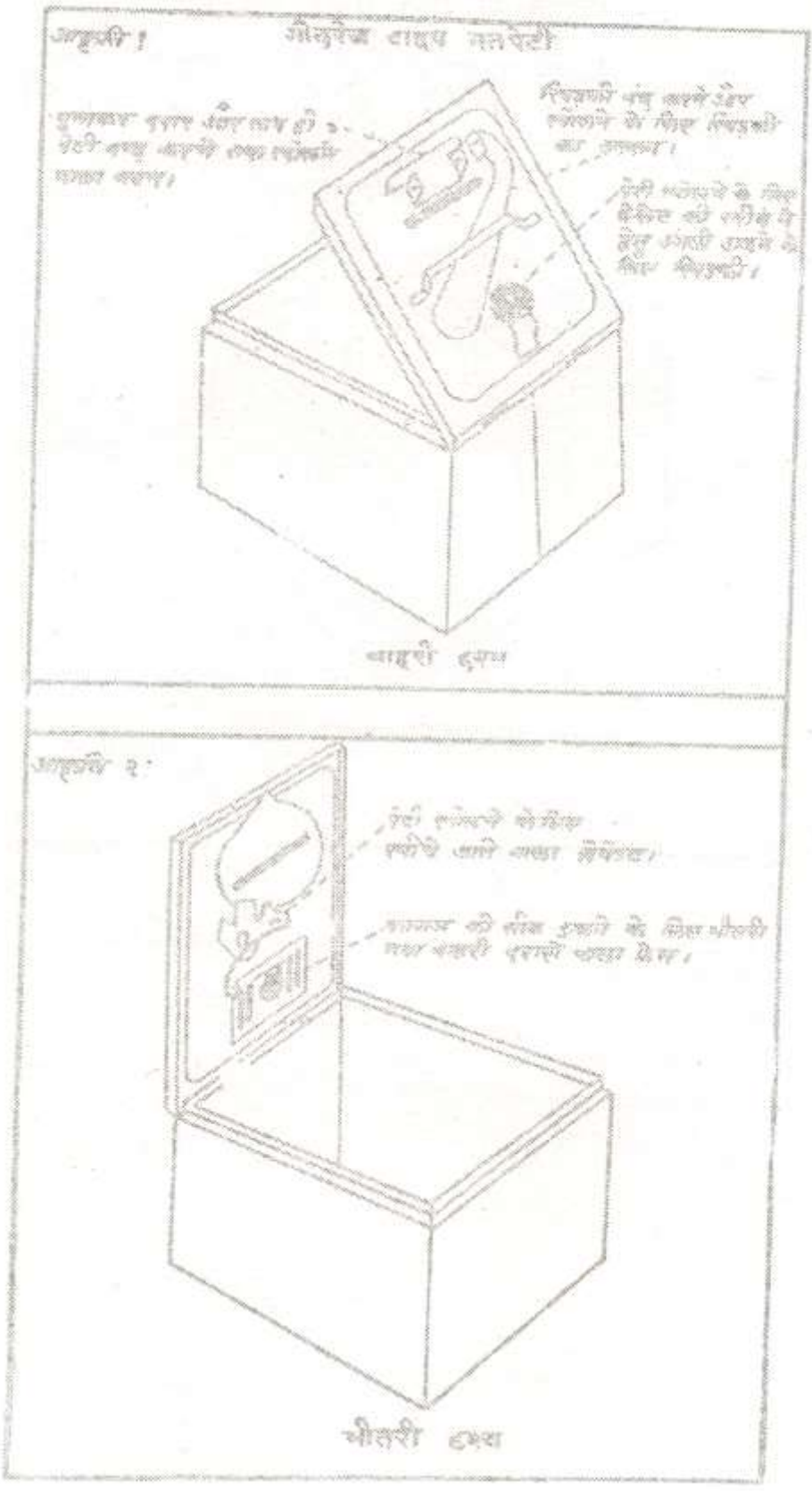

चित्र

मतदान के लिये तैयार पेटी

आकृति 3

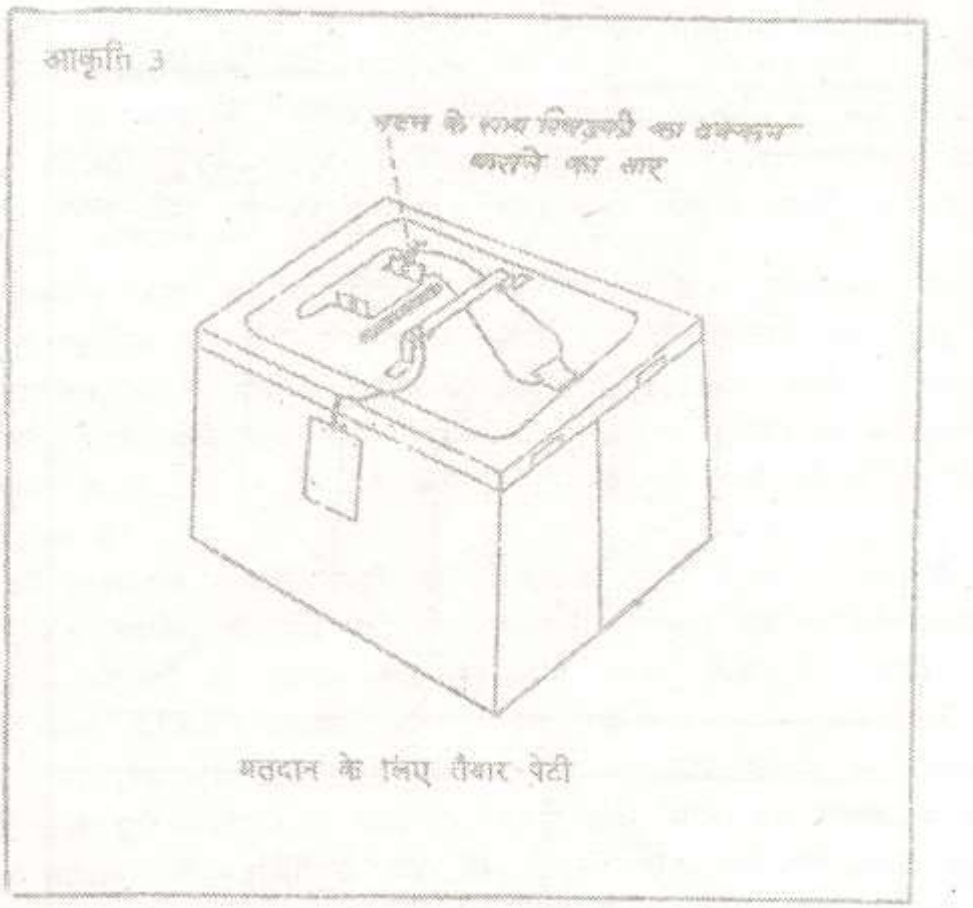

मतदान के लिए तैयार पेटी

चित्र

मतदान के बाद बंद की गई पेटी

आकृति 4

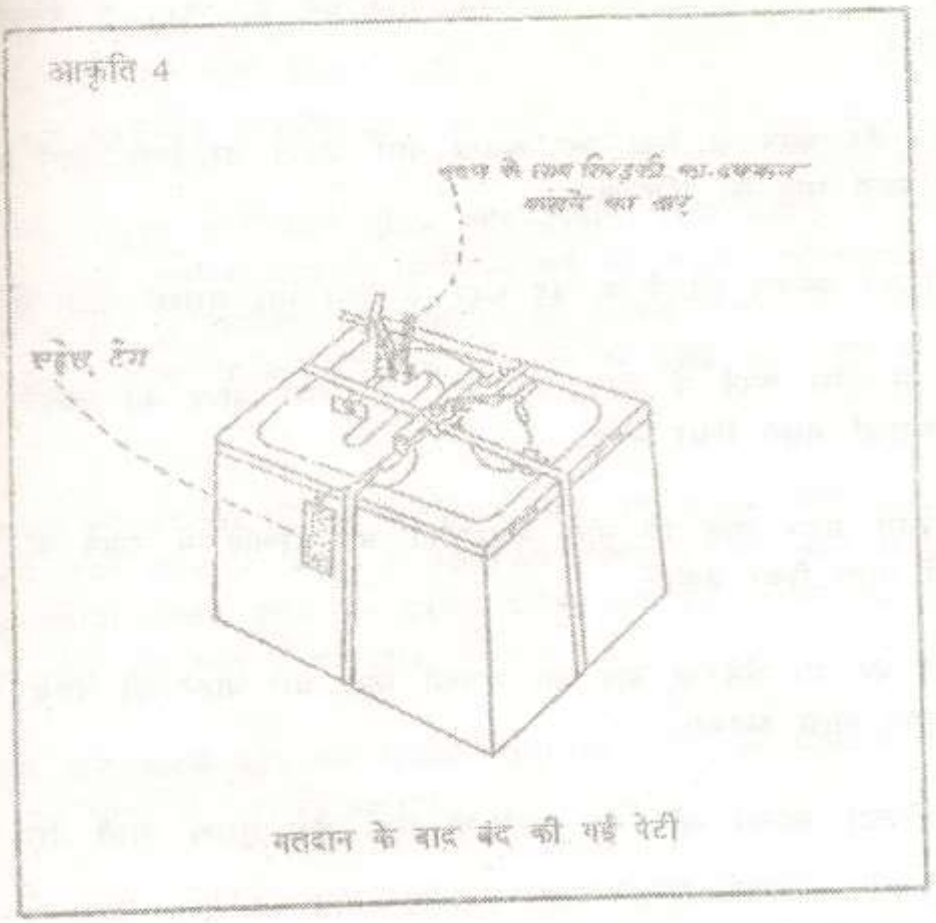

मतदान के बाद बंद की गई पेटी

(ख) मध्यप्रदेश टाइप मतपेटी

1. पेटी का खोलना.— धातु का कब्जेदार सील कवर उठाइये (देखिये आकृति 1)

(क) नीचे दिये गये उन भागों को, जो अब खुल गये है, ध्यान से देखिए (देखिए आकृति 1):—

(एक) ढक्कन बंद करने के लिए चार सुराख वाले बोल्टों पर लगी सीलों का बचाव करने वाला धातु का सील कवर;

(दो) सरका कर ढक्कन खोलने या बंद करने के लिये चार सुराखों वाला चल बोल्ट;

(तीन) पेटी को सील करने के लिये चल बोल्ट से स्थिर बोल्ट को जोड़ने के लिये चार सुराखों वाला स्थिर बोल्ट;

(चार) बंद करते समय धातु के सील कवर की सही स्थिति में रखने के लिये दो सुराखों वाला स्थिर ब्रेकेट;

(पांच) ढक्कन बंद कर लेने के बाद चार सुराखों वाले चल बोल्ट को पकड़े रखने के लिये घूमने वाला खटका;

(छः) दरार (स्लिट) खोलने और बंद करने के लिये एक सुराख वाली दरार नियंत्रक मुठिया;

(सात) जब दरार बंद हो, तब दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया से स्थिर मुठिया को जोड़ने के लिये एक सुराख वाली स्थिर मुठिया;

(आठ) जब दरार खुली हो तब दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया से स्थिर मुठिया को जोडने के लिये एक सुराख वाली स्थिर मुठिया;

(नौ) दरार (स्लिट)।

(ख) चार सुराख वाले चल बोल्ट को खुला छोडने के लिये घूमने वाले खटके को बाई और घुमाइये।

(ग) चार सुराख वाले चल बोल्ट को दरार (स्लिट) की ओर खींचियें ऐसा करने से ढक्कन का बोल्ट खुल जावेगा।

(घ) हैण्डल से ढक्कन उठाइये।

2. दरार (स्लिट) खोलना.—एक सुराख युक्त सरकने वाली दरार नियंत्रक मुठिया (स्लाडिंग कन्ट्रोल नांब) को पेटी के उस तरफ कब्जा लगा हो तब तक दबाइये, जब तक कि वह एक सुराख वाली स्थिर मुठिया के पास नहीं पहुच जाती। अब दरार (स्लिट) पूरी तरह खुल गई है (देखिए आकृति 2) ।

3. मतदान के लिये पेटी तैयार करना.– (एक) यह सुनिश्चित कर लीजिये कि दरार स्लिट पूरी तरह खुली हुई है ताकि उसमें से मतपत्र आसानी से डाले जा सके।

(दो) दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया और उपर्युक्त स्थिर मुठिया के सुराखों में सये एक तार का टुकड़ा डालिये। तार के सिरों को कई बार कसकर घुमाइये। खाली मतपेटी उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को दिखाईये। उसके अन्दर पते की चिट (एड्रेस टेग) भी डालें।

(तीन) अब ढक्कन बंद कर दीजिए उसे दबाइये और चार सुराखों वाले चल बोल्ट को चार सुराखों वाले स्थिर बोल्ट से मिलाने के लिए उसे सरकाइये। ऐसा करने से ढक्कन का बोल्ट लग जायेगा। हैण्डल खींच कर ढक्कन खोलने का प्रयत्न करके यह देख लीजिये कि ढक्कन का बोल्ट लग गया है या नहीं।

(चार) घूमने वाले खटके और चार सुराखों वाले स्थिर बोल्ट के बीच के अंतर को थोड़े से पिघले हुए चपड़े से बंद कर दीजिए।

(पांच) घूमने वाले खटके को दाहिनी ओर तब तक घुमाते हुए बोल्ट लगाइये, जब तक कि वह चार सुराखों वाले चल बोल्ट के पास जाकर रूक नहीं जाता और उससे सट नहीं जाता।

(छः) लचीले तार का एक टुकड़ा लीजिये और उसे चल बोल्ट और स्थिर बोल्ट के आमने सामने के सुराखों के सेट में डालिये। चल बोल्ट को सुरक्षित रूप से स्थिर बोल्ट से सटा रखने के लिए तार के सिरों को कस कर मोड़िए।

(सात) फिर धागे का एक टुकड़ा स्थिर और चल बोल्टों के सुराखों में से ठीक वेसे ही पिरोइये जैसे कि जूते के बंद पिरोये जाते है। बहुत सी गठानें लगाते हुए धागे (ट्वाइन) के सिरे आपस में कसकर बांध दीजिये। गठानें यथासंभव पास–पास हों और वे स्थिर और चल बोल्टों से लगी हों। धागे का दूसरा टुकड़ा भी दूसरी दिशा में उसी तरह बांधा जा सकता है जैसा कि नीचे के उप–पैरा में उल्लेखित है।

(आठ) धागे (ट्वाइन) के प्रत्येक टुकड़े के खुले छोर एक साथ मिलाकर पकड़िए और उन्हें, मोटे कड़े कागज के टुकड़े पर रखिये, यथासंभव गठानों के पास अपनी सील लगाइये, (जिससे वह कम से कम एक दो गठानों पर आ जाये) अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को, यदि वे चाहें तो, इसी प्रकार धागे (ट्वाइन) के शेष भाग पर अपनी सीलें लगाने दीजिए। यदि सील लगाने वाले अभिकर्ता दो से अधिक हो तो दूसरे धागे का टुकड़ा विपरीत दिशा में छेदों में पिरोकर कसकर पहले टुकड़े की तरह बांध दिया जाना चाहिए और उसी प्रकार सील लगाई जानी चाहिए। अब अभ्यर्थी अभिकर्ता इस बात से अपना समाधान कर सकते हैं कि पेटी ठीक से बंद कर दी गई है और वह सील तोड़े बिना नहीं खुल सकती है।

(नौ) धातु का सील कवर इस बात की सावधानी बरतते हुए इस प्रकार बंद कर दीजिए कि कवर के भीतर की सभी सीलें सुरक्षित रहें।

(दस) धातु के सील कवर तथा उसको जोड़ने वाले स्थिर ब्रेकेट के प्रत्येक सुराखों के एक सेट में से तार का टुकड़ा डालिए। तार के छोरो को कसकर कुछ बार घुमाइये। अब पेटी मतदान के लिए तैयार है (देखिए आकृति 2)

4. दरार बंद करना और मतदान के बाद सील लगाना.–(एक) तार को हटाकर स्थिर ब्रेकेट पर से धातु के सील कवर को खोलिए और इस बात की जांच करके देखिये कि भीतर की सीलें ज्यों की त्यों है।, उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी बता दीजिए कि भीतरी सील ज्यों की त्यों है।

(दो) दरार नियंत्रक मुठिया को स्थिर मुठिये से बांधने वाले तार को निकालकर दरार नियंत्रक मुठिया को खोलिए।

(तीन) दरार नियंत्रक मुठिया को धातु के सील कवर की दिशा में तब तक धकेलिए जब तक कि वह स्थिर मुठिया तक न पहुच जाये। ऐसा करने पर दरार बंद हो जाती है।

(चार) दरार नियंत्रक मुठिया तथा उक्त स्थिर मुठिया के छेदों में से तार का टुकड़ा डालिए। तार के सिरों को कसकर कुछ बार मोड़िये। छेदों में से धागे (ट्वाइन) का टुकड़ा डालिए तथा उसके सिरों को मजबूती से कई गठाने लगाकर बांध दीजिए, ताकि दरार नियंत्रक मुठिया स्थिर मुठिया से बंध जाए। जहां तक हो सके गांठें मुठिया के नजदीक होनी चाहिए। कागज के एक मोटे टुकड़े पर धागे (ट्वाइन) के दोनों सिरों को एक साथ पकड़कर डालिये तथा उन पर अपनी सील यथासंभव गठानों के पास लगा दीजिए। यदि अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता चाहें, तो वे भी इसी प्रकार अपनी सील लगा सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता विलम्ब से आने के कारण स्थिर और चल बोल्टों को बांधने वाले धागे (ट्वाइन) पर मतदान के पूर्व अपनी सील नहीं लगा पाया हो, तो उसे भी अब ऐसा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(पांच) इसके बाद धातु के सील कवर को बंद कर दीजिए। किन्तु इस बात की सावधानी बरतिये कि सील कवर के भीतर की सभी सीलें सुरक्षित रहें।

(छः) धातु के सील कवर तथा स्थिर ब्रिकेट के छेदों के एक सेट में से एक तार का टुकड़ा डालिए। तार के सिरों को कुछ बार कसकर मोड़ दीजिए। छेदों में से धागे (ट्वाइन) का एक टुकड़ा भी डालिए तथा इसके सिरों को मजबूती से कई गठाने लगाकर बांध दीजिए ताकि धातु का सील कवर स्थिर ब्रेकेट से बंध जावे। कागज के टुकड़े पर धागे (ट्वाइन) के खुले सिरों को एक साथ पकड़कर रखिए तथा उन पर अपनी सील लगा दीजिए। सील जहां तक हो सके, गठानों के पास ही होनी चाहिए।

(सात) मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को बंद कर सुरक्षित कर लेने के पश्चात् फीते से मतपेटी/मतपेटियों को चारों ओर से बांध दीजिए। ढक्कन पर, हैण्डिल के नीचे एक–दूसरे को क्रास करते हुए मतबूत गांठ लगाइये तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुठ्ठे का टुकड़ा रखकर अपनी सील लगा

दें। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा दें या हस्ताक्षर कर दें (देखिए आकृति– 3)

(आठ) यदि मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर बाद में कराई जाना है तो यह आवश्यक होगा कि उपयोग में लाई गई मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/थैलियों में रखकर बंद कर दिया जावे। थैली में लगी डोरी को खींचकर ऊपर हिस्से में गठान लगाकर कस दें और उसे 2–3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठे लगा दें। डोरी की गांठों पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छूती हुई अपनी सील लगा दें जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा सकते है। थैली के ऊपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रेस टैग) अच्छी तरह बांध दें।

टिप्पणी.—मतदान की समाप्ति के बाद सीलबंद मतपेटी को जिस कपड़े की थैली में रखा जाता है, उस पर स्याही से या रबर स्टाम्प से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए यह इसलिए आवश्यक है ताकि कपडे की थैलियां खराब हो जाएं और भविष्य में उपयोग के लिए अनुपयोगी न बना दी जाएं। पुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार सभी लिखा पढ़ी पते की चिट (एड्रेस टैग) पर की जानी चाहिए। इस बात की परम साबधानी रखी जाए कि उन्हें ऐसे रूप से लगाया या चिपकाया जाता है, ताकि वे ले जाते समय निकल न जाएं।

———————

चित्र

मध्यप्रदेश टाइप पेटी

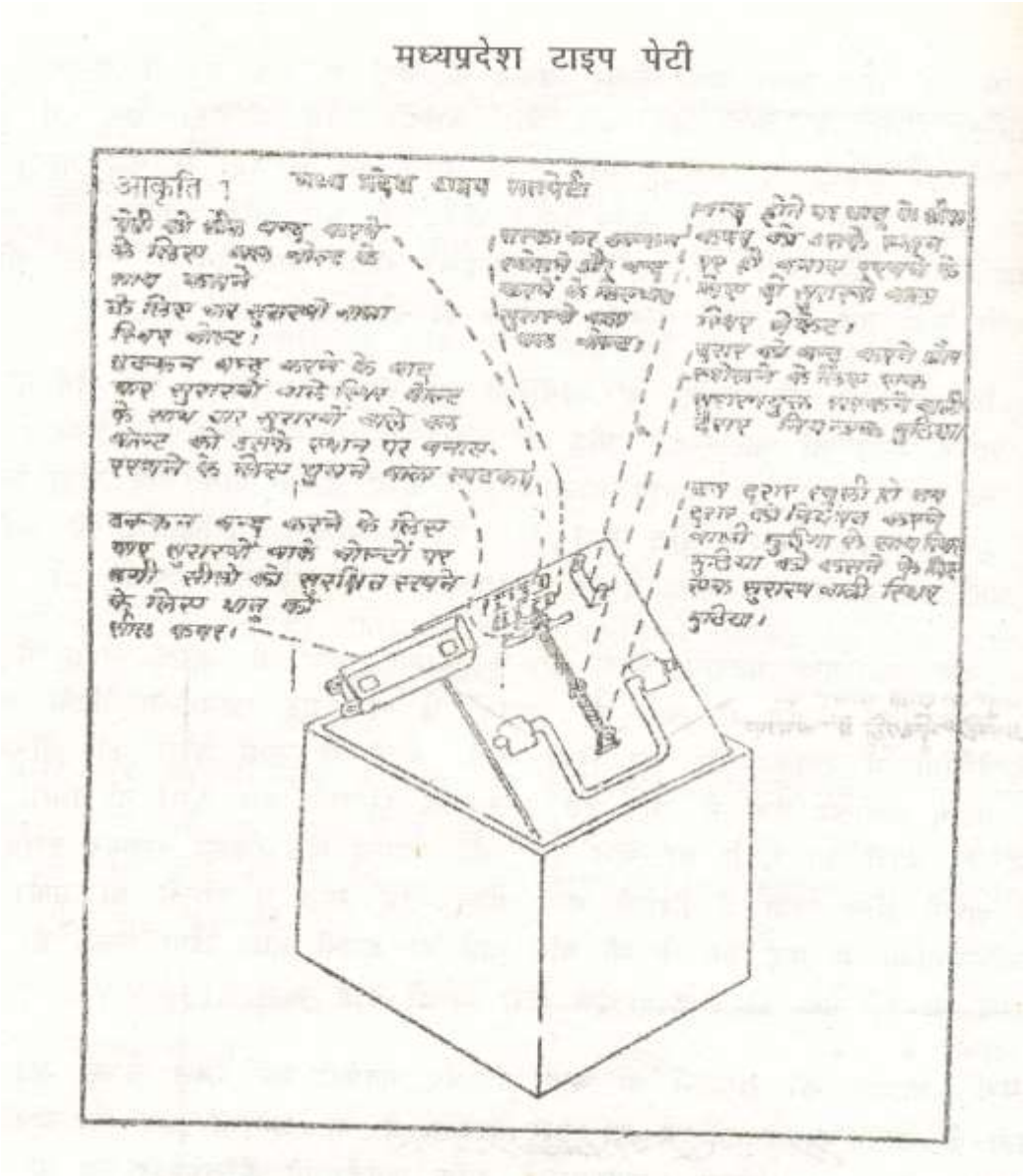

चित्र

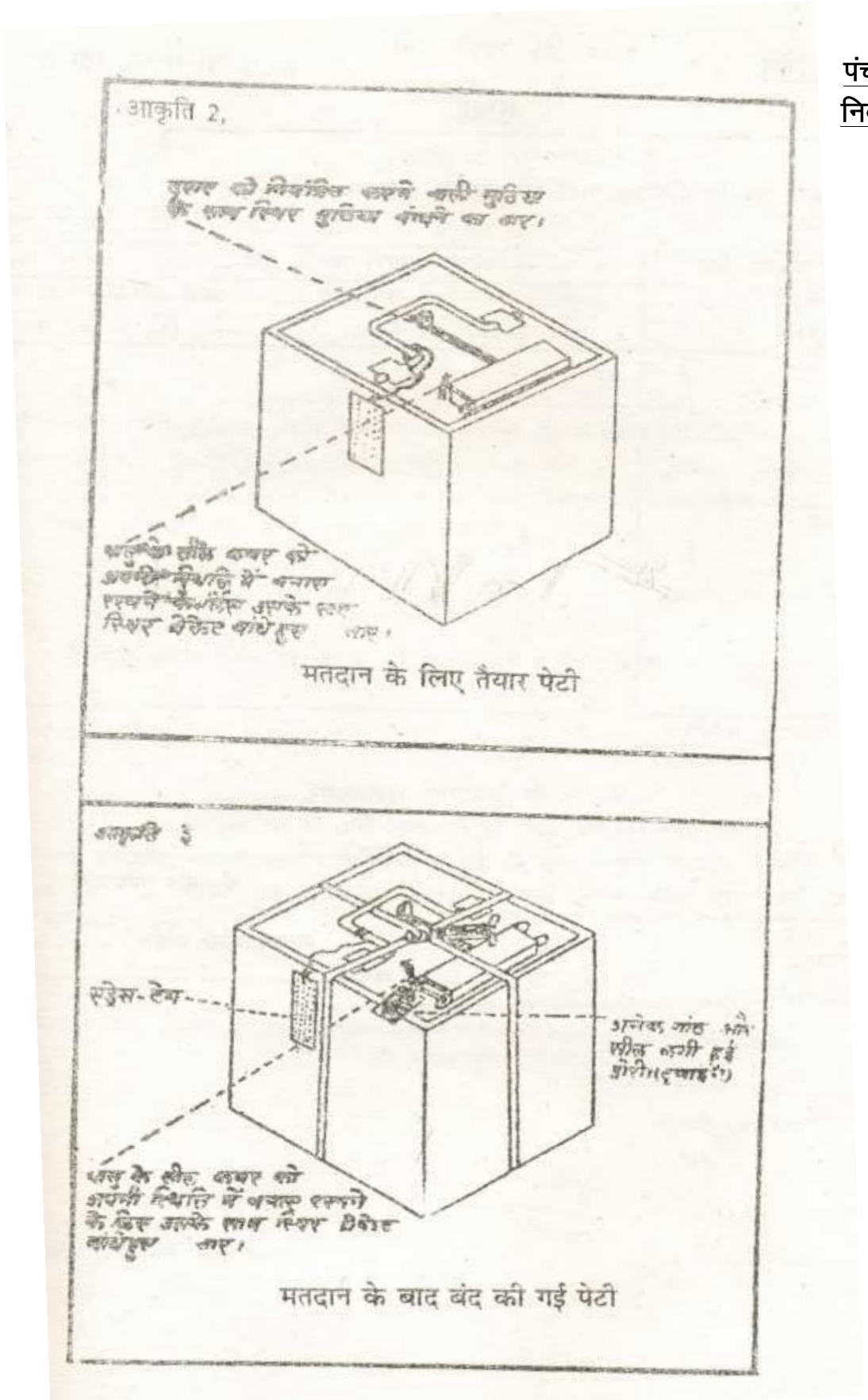

परिशिष्ट – ग्यारह
सूचना

इस मतदान केन्द्र पर निम्नलिखित वार्डों के मतदाता, मतदान करने के हकदार है :–

ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का विवरण	
	गांव	वार्ड क्रमांक
(1)	(2)	(3)

(हस्ताक्षर). . . . . .

(नाम).....

पीठासीन अधिकारी

स्थान.....

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .

दिनांक. . . . . .

खण्ड.....

प्ररूप–10

[नियम 42 (1) देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक . . . . . .से पंच का निर्वाचन*
ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन *
जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन*
जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन*

मैं,.....जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/*ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी.....का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..... ...पिता/पति का नाम..... को मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . .स्थान.....में अपने मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

. . . . . .

स्थान..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख. . . . . नाम.....

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

. . . . . .

स्थान..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख. . . . . नाम.....

मतदान अभिकर्ता की घोषणा

(इस पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं एतद्द्वारा, यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में मतों की गोपनीयता से संबंधित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

. . . . . .

स्थान..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख. . . . . नाम.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए।

. . . . . .

स्थान..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख. . . . . नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–13 क

[नियम 62(1) देखिए]

अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा

*ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक . . . . . .से पंच का निर्वाचन
*ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन
*जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन
*जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन

मैं,.....पिता/पति का नाम.....आयु. . . . . .वर्ष, पता.....
....
.....

एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं किः–

(क) मैंने आज तारीख. . . . . को किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि ग्राम पंचायत.....की मतदाता सूची के क्रमांक. . . . . .पर मतदाता के रूप में दर्ज है, की ओर से मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी।

. . . . . .

स्थान..... (साथी के हस्ताक्षर)

तारीख. . . . . नाम.....

प्रतिहस्ताक्षरित
पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–13 ख

[नियम 62 (1)देखिए]

अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक . . . . . .से पंच का निर्वाचन (*)

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन (')

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन (*)

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन (*)

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .खण्ड का नाम.....

अनुक्रमांक	मतदाता का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित	मतदाता सूची में मतदाता का अनुक्रमांक	साथी का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित	साथी का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

. . . . . .

स्थान.....

तारीख. . . . . .

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र क्र.....

रसीद

क्रमांक.....

श्री.....अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रूपये 5.00 (पांच रूपये) की राशि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 58 के उपनियम (1) के प्रावधान के अन्तर्गत निक्षेप के रूप में प्राप्त की।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... पीठासीन अधिकारी

दिनांक. . . . . मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .

मोहर

प्ररूप–12

[नियम 58 (2) देखिए]

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच का निर्वाचन

जनपद/जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक.....खण्ड का नाम.....

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
		मतदाता सूची से संबंधित ग्राम पंचायत का नाम	मतदाता का अनुक्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	अभ्याक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता	पहचानकर्ता (यदि कोई हो)	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

. . . . . .

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख. . . . . .

नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

स्टेशन आफीसर पुलिस को भेजे जाने वाली रिपोर्ट

प्रति,

स्टेशन आफीसर,

. . . . . .

. . . . . .

विषयः.....पंचायत निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण की रिपोर्ट।

महोदय,

मैं यह प्रतिवेदन करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... .....निवासी..... ने मेरे मतदान केन्द्र पर मतदान करने आये एक व्यक्ति की पहचान को चुनौती दी है। संबंधित व्यक्ति को ग्राम.....के मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल/विशेष पुलिस अधिकारी श्री.....के सुपुर्द किया गया है। संबंधित व्यक्ति ने अपने को (नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....होने का दावा किया है. जिसका नाम ग्राम पंचायत.....की मतदाता सूची में सरल क्रमांक. . . . . पर अंकित है। वह अपने को उक्त निर्वाचक होना सिद्ध नहीं कर सका। मेरे मत में यह व्यक्ति एक ठग (**Imposter**)है। अतः उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–एफ के अन्तर्गत उचित कानूनी कार्यवाही करें।

भवदीय

तारीख. . . . . .

. . . . . .

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान.....

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . .

ग्राम पंचायत. . . . . .

खण्ड. . . . . .

जिला. . . . . .

पावती

उपरोक्त पत्र व उसमें दर्शाया गया व्यक्ति मुझे तारीख. . . . . .को . . . . . बजे पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार सौंपा गया।

. . . . . .

हस्ता/–

पूरा नाम.....

पुलिस कांस्टेबल/विशेष पुलिस अधिकारी

प्ररूप–14

[नियम 64 (2)देखिए]

निविदत्त मतों की सूची

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक . . . . . .से पंच का निर्वाचन (*)

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन (*)

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन (*)

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन (*)

मतदान केन्द्र का क्रमांक. . . . . खण्ड का नाम. . . . . .

क्रमांक (1)	मतदाता का नाम (2)	मतदाता सूची से संबंधित ग्राम पंचायत का नाम (3)	मतदाता का अनुक्रमांक (4)	मतदाता का पता (5)	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक (6)	उस व्यक्ति को जारी किए मतपत्र का क्रमांक जिसने पहले ही मत डाल दिया है (7)	मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (8)

. . . . . .

स्थान..... पीठासीन अधिकारी के

हस्ताक्षर

तारीख. . . . . नाम.....

.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

टीप– पंच के मामले में समस्त वार्डों से संबंधित निविदत्त मतों की विशिष्टियां एक ही कागज पर अभिलिखित की जाएंगी। वार्ड नम्बर का उल्लेख मतदाता अनुक्रमांक के पश्चात् कालम नंबर (4) में किया जाए।

प्ररूप–15

खनियम 67 देखिए,

भाग–1 मतपत्र लेखा

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक . . . . . .से पंच का निर्वाचन *

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन *

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन *

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन *

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . खण्ड का नाम.....

		अनुक्रमांक		कुल संख्या
		से	तक	
1.	पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या	.....	.....	.....
2.	उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या	.....	.....	.....
3.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या (1–2=3)	.....	.....	.....
4.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रों की संख्या–			
	(क) मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या.			.....
	(ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या			.....
	(ग) रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या			.....
		योग (क+ख+ग)		.....
5.	मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या (3–4=5)			.....

. . . . . .

स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख. . . . . .

मोहर

नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

भाग–2 गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी/मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या. . . . . .
2. इस भाग की मद 1 के मतपत्रों की कुल संख्या और भाग–1 की मद 5 में उल्लिखित मतपत्रों की कुल संख्या में अन्तर, यदि कोई हो .....

.....
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान.....
तारीख.. . . . . ..

नाम.....

. . . . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर
नाम.....

परिशिष्ट–बीस

मतदान/मतगणना स्थगित किए जाने की सूचना

ग्राम पंचायत.....के अंतर्गत मतदान केन्द क्रमांक.. . . . . के मतदाताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि–

आज तारीख.....को हुए मतदान को अपरिहार्य कारणों से आगे जारी रखना संभव नहीं है। अतएव मतदान स्थगित किया जाता है। पुनर्मतदान के तारीख, स्थान और समय की सूचना पृथक्शः बाद में की जाएगी।

(हस्ताक्षर).....

स्थान..... पीठासीन अधिकारी

दिनांक. . . . . . मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .

या

आज तारीख. . . . . को हुए मतदान में डाले गए मतों की गणना, अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र पर करना संभव नहीं है। मतगणना अब निम्नांकित तारीख, स्थान और समय पर की जाएगीः–

तारीख	स्थान	समय

(हस्ताक्षर).....

स्थान..... पीठासीन अधिकारी

दिनांक. . . . . . मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .

पीठासीन अधिकारी की डायरी

भाग–एक

(मतदान)

1. मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा स्थान क्रमांक. . . . . स्थान.....

2. ग्राम पंचायत..... खण्ड.....

3. मतदान की तारीख .....

4. मतदान केन्द्र से सम्बद्ध "वार्डों" के क्रमांक तथा (1) क्रमांक. . . . . कुल संख्या.

(2) कुल संख्या. . . . . .

(3) वार्डों के क्रमांक, जिनमें पंचों के लिए मतदान हुआ.

. . . . . .

5. मतदान केन्द्र किस प्रकार के भवन में स्थित है? (1) भवन का स्वामित्व–शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी

(2) भवन का प्रकार–पक्का/अर्द्धस्थायी/अस्थायी ढांचा

6. मतदान दल के सदस्यों का विवरणः–

क्रमांक	पदनाम	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी शब्द सहित)	धारित पद और कार्यालय/संस्था का नाम
1.	पीठासीन अधिकारी		
2.	मतदान अधिकारी क्र. 1		
3.	मतदान अधिकारी क्र. 2		
4.	मतदान अधिकारी क्र. 3		
5.	मतदान अधिकारी क्र. 4		

7. उपयोग में लाई गई मतपेटियों का

आकार	संख्या	मतपेटी पर उत्कीर्ण क्रमांक (नंबर)
बड़ी		
छोटी		
कुल		

8. केन्द्र से सम्बद्ध मतदाता और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्याः–

पुरूष/महिला	सम्बद्ध कुल मतदाता (संख्या)	मतदाता जिन्होंने मतदान किया (संख्या)	मतदान का प्रतिशत
पुरूष			
महिला			
योग..			

9. अभ्यर्थी और उनके अभिकर्तागणः–

क्रमांक	पद जिसके लिए मतदान हुआ	अभ्यर्थियों की संख्या	मतदान के दौरान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की संख्या		अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या अन्य कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ
			अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता	मतदान अभिकर्ता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पंच (केन्द्र से सम्ब्द्ध सभी वार्डो के लिए कुल मिलाकर)				
2	सरपंच				
3	सदस्य जनपद पंचायत				
4	सदस्य जिला पंचायत				

10. अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने किसी साथी की सहायकता से मतदान किया. .....

11. (1) अभ्याक्षेपित (चेलेन्ज्ड) प्रकरणों की संख्या .....

(2) तुच्छ/गलत अभ्याक्षेप के प्रकरण तथा जप्त की गई धनराशि .....

(1) प्रकरणों की संख्या .....
(2) जप्त की गई राशि रू .....

12. निविदत्त (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या .....

13. प्रतिरूपण (अर्थात् फर्जी मतदान) के प्रकरणों की संख्या (जिनमें धारा 171–एफ भा.द.वि. के अन्तर्गत पुलिस को रिपोर्ट की गई) .....

14. मतदान के दौरान बलवा या खुली हिंसा, प्राकृतिक प्रकोप या प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी के कारण मतदान स्थगन की घटनाएं:–

क्र.	घटना का स्वरूप	हिंसा प्राकृतिक प्रकोप या प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी, जैसी भी स्थिति हो, का सुस्पष्ट विवरण
(1)	(2)	(3)
1	बलवा या हिंसा या प्राकृतिक प्रकोप के कारण कुछ देर मतदान में व्यवधान हुआ। परन्तु स्थिति नियंत्रित कर लिये जाने/सामान्य हो जाने पर, मतदान ठीक से सम्पन्न हो गया।	(मतदान स्थगित किये जाने की अवधि का उल्लेख अवश्य करें)
2	बलवा या हिंसा या प्राकृतिक प्रकोप के कारण मतदान जारी रखना सम्भव नहीं हुआ और उसे स्थगित करना पड़ा परन्तु मतपेटी, मतपत्र आदि का कोई नुकसान न होने से मतदान विकृत नहीं हुआ।	
3	बलवा या हिंसा या मतदान केन्द्र पर बलात कब्जा किए जाने के कारण मतदान जारी रखना सम्भव नहीं हुआ और उसे स्थगित करना पड़ा। साथ ही मतपेटी मतपत्र मतदाता सूची की चिन्हित प्रति छीन लिए जाने या विनष्ट कर दिये जाने के कारण मतदान विकृत हो गया।	
4	प्रक्रिया संबंधी गंभीर त्रुटि (जैसे कि मतदाताओं को गलत मतपत्र जारी करने आदि) के कारण मतदान स्थगित करना पड़ा।	(त्रुटि के कारण प्रभावित–पद और वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख अवश्य करें)

टीप:– मतदान आगे जारी रखना संभव न होने की स्थिति में, उस समय का उल्लेख भी करें जब मतदान स्थगित किया गया और यह कि तब तक कुल कितने मतदाता मतदान कर चुके थे?

15. जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही–सही .....
समय. . . . . बजे.

16. कोई महत्वपूर्ण घटना, यदि घटी हो तो–

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

तारीख..... (नाम.....)

पीठासीन अधिकारी

मोहर

पंचायत निर्वाचन
परिशिष्ट–इक्कीस

मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी

भाग–दो

(मतगणना)

1. मतगणना का (1) स्थान–मतदान केन्द्र/खण्ड मुख्यालय में स्थित भवन का नाम.....
.....
.....

(2) तारीख. . . . . .

(3) प्रारंभ करने का समय. . . . . बजे से

2. मतगणना के दौरान उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्तागण :–

क्रमांक	पद जिसके निर्वाचन के लिए मतगणना हुई	अभ्यर्थियों की संख्या	मतगणना के दौरान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की संख्या		अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या अन्य कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ
			अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता	गणन अभिकर्ता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पंच (केन्द्र से सम्बद्ध सभी वार्डों के लिए कुल मिलाकर)				
2	सरपंच				
3	सदस्य जनपद पंचायत				
4	सदस्य जिला पंचायत				

3. मतगणना कार्य में तैनात अधिकारी/कर्मचारी :–

क्र.	पद	संख्या
1	प्राधिकृत अधिकारी (पीठासीन अधिकारी/गणना पर्यवेक्षक)	.....
2	प्राधिकृत कर्मचारी (मतदान अधिकारी/गणना सहायक)	.....
3	भृत्य	.....

4. यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ी हो तो ऐसे स्थान की अवधि एवं कारण–

(1) अवधि. . . .. बजे से. . . . . बजे तक. . . . . .

(2) कारण.....
.....

(एक विस्तृत प्रतिवेदन पृथकशः संलग्न करें)

5. मतगणना (प) प्रारंभ करने का समय.....

(पप) समाप्त करने का समय.....

6. पुनर्मतगणना की मांग और स्वीकृति के प्रकरणः–

क्र (1)	पद (2)	प्रकरणों की संख्या जिनमें पुनर्मतगणना की मांग की गई (3)	प्रकरणों की संख्या जिनमें पुनर्मतगणना की मांग स्वीकार की गई (4)	प्रकरणों की संख्या जिनमें पुनर्मतगणना की परिणाम में अन्तर पड़ा (5)
1	पंच (ग्राम पंचायत)			
2	सरपंच (ग्राम पंचायत)			
3	सदस्य, जनपद पंचायत			
4	सदस्य, जिला पंचायत			

7. वैध और प्रतिक्षेपित (खारिज) मतः–

क्र. (1)	पद (2)	वार्ड क्र./ निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक (3)	डाले गये मतों की कुल संख्या (4)	वैध मतों की कुल संख्या (5)	प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या (6)	प्रतिक्षेपित मतों का प्रतिशत (7)
1	पंच	वार्ड क्र..... वार्ड क्र..... वार्ड क्र.....				
2	सरपंच	ग्राम पंचायत				
3	सदस्य, जनपद पंचायत	नि.क्षे.क्र.....				
4	सदस्य, जिला पंचायत	नि.क्षे.क्र.....				

8. कोई महत्वपूर्ण घटना, यदि घटी हो तो–

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख. . . . . (नाम.....
.....)

प्राधिकृत अधिकारी

मोहर

प्ररूप–11

[नियम 43(1) देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्रमांक . . . . . .से पंच का निर्वाचन *

ग्राम पंचायत.....से सरपंच का निर्वाचन *

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . .से सदस्य का निर्वाचन *

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . .. . .से सदस्य का निर्वाचन *

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत),

. . . . . .

मैं,.....जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/*ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी.....का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा, श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....को गणना के लिए नियत स्थान पर गणना के दौरान उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान..... .....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

तारीख. . . . . .

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान..... .....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख. . . . . नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा

(इस पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं, ऊपर वर्णित निर्वाचन में मतों की गोपनीयता से संबंधित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,1993 या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान..... .....

तारीख..... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए।

.....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा

स्थान..... प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

तारीख.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–16

खनियम 77 (2) देखिए]

ग्राम पंचायत.....के वार्ड क्र.....से

पंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . खण्ड.....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या .....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

---

*स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें।

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान.....
तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

भाग–एक

प्ररूप–17

[नियम 77 (2)देखिए]

ग्राम पंचायत.....खण्ड.....के

सरपंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . सम्मिलित वार्डों के क्रमांक.. . . . . .

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या .....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी.

*स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें।

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान.....
तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

भाग–एक

प्ररूप–18

[नियम 77 (2) देखिए]

जनपद पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से

जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . सम्मिलित वार्डो के क्रमांक.....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या .....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

*स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें।

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान.....
तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

परिशिष्ट–छब्बीस

भाग–एक

प्ररूप–19

[नियम 77 (2) देखिए]

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से

जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . सम्मिलित वार्डो के क्रमांक.....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या .....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

*स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें।

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

पंचायत निर्वाचन सत्ताईस

परिशिष्ट –

वैध मतपत्र
(VALID BALLOT PAPERS)

भाग–एक

भाग–दो

अवैध मतपत्र
(INVALID BALLOT PAPERS)

गणना पर्ची

(पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में प्राप्त मतों की जानकारी)

खण्ड..... मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .

(1) ग्राम पंचायत..... के वार्ड क्रमांक. . . . . से पंच का निर्वाचन

(2) ग्राम पंचायत..... से सरपंच का निर्वाचन

(3) जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . से सदस्य का निर्वाचन

(4) जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक. . . . . से सदस्य का निर्वाचन

अभ्यर्थी का नाम.....

प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्याः– अंकों में. . . . . शब्दों में.....

स्थान..... . . . . .

हस्ताक्षर

तारीख . . . . . प्राधिकृत अधिकारी/सहायक रिटर्निंग आफिसर

प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्र

खण्ड..... मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .

1.	ग्राम पंचायत.....	के वार्ड क्रमांक.	से पंच का निर्वाचन
2.	ग्राम पंचायत.....	के सरपंच का निर्वाचन	
3.	जनपद पंचायत.....	के निर्वाचन क्षेत्र क्र.	से सदस्य का निर्वाचन
4.	जिला पंचायत.....	के निर्वाचन क्षेत्र क्र.	से सदस्य का निर्वाचन

प्रतिक्षेपित (खारिज)मतों की संख्याः– अंकों में. . . . . शब्दों में.....

स्थान.....

तारीख. . . . . .

आफिसर

.....

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी/सहायक रिटर्निंग

शाकेमुभो–2367–रानिआ–23–1–99–80,000

————0————